क्रम संख्या–53 (क) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 30 जून, 2020 ई0

आषाढ़ 09, 1942 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–3

संख्या 245/XVIII(3)/2020–04(14)/2017

देहरादून, 30 जून, 2020

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 2016 की धारा 39 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर विद्यमान सभी नियमों एवं आदेशों का अधिकमण करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं–

उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 2020

भाग–1– सामान्य

संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था नियमावली, 2020 है।

(2) यह नियमावली जिला हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर तथा देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल एवं चंपावत जिलों के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के समस्त पर्वतीय क्षेत्रों पर लागू होगी।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगी, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषायें

2. जब तक कि विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) "**अधिनियम**" से उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जोत चकबन्दी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 2016 अभिप्रेत है;

(ख) "**आधार खसरा**" एवं "**खतौनी**" से कमशः किसी ग्राम के ऐसे खसरा और खतौनी अभिप्रेत है जो धारा 3 की उप धारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी होने के समय चालू हो;

(ग) "**आधार वर्ष**" से ऐसा वर्ष अभिप्रेत है जिसमें सम्बन्धित आधार खसरा और आधार खतौनी हो;

(घ) "**धारा**" से उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबन्दी एवं भूमि सुधार व्यवस्था अधिनियम, 2016 की धारा अभिप्रेत है;

(ड.) "**कटक**" (Unit) के मानक गाटा (Standard Plots) से नियम 12 के अनुसार इस रूप में अवधारित गाटों अभिप्रेत है;

(च) "**विनिमय अनुपात**" से किसी गाटे के हैक्टेयर पैसा मूल्य अभिप्रेत है, जो नियम 2 के खण्ड (ख) के मानक गाटे के एक हैक्टेयर के सापेक्ष हो।

स्पष्टीकरण :

(क) मानक गाटे का पैसा मूल्य 100 पैसा होगा,

(ख) समस्त गाटों का विनिमय अनुपात 100 पैसे और 10 पैसे के बीच के गुणन में व्यक्त किया जायेगा।

टिप्पणी : यह वहीं लागू होगा जहाँ उक्त अधिनियिम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना अब जारी की गयी हो या जहाँ अधिसूचना जारी की गयी हो, किन्तु मूल्यांकन कार्य पूरा न किया गया हो।

भाग –2

चकबन्दी समिति की संरचना, इसकी सूचना एवं रिक्तियों की पूर्ति

चकबन्दी समिति की संरचना

3. (1) प्रत्येक कटक हेतु एक चकबन्दी समिति होगी जिसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होंगे। उन मामलों में जिसमें उपनियम 3 के उपबन्धों को देखते हुए, सदस्यों का निर्वाचन आवश्यक हो जाए, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी कटक के खातेदारों की कुल संख्या और कटक पर क्षेत्राधिकार रखने वाली भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों के सदस्यों की संख्या पर विचार करने के पश्चात् निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या निश्चित करेगा, जो 7 से अधिक नहीं होगी। ये सदस्य

कटक के अन्तर्गत आने वाले ग्राम/ग्रामों की भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे, जो उपनियम 2 में नियत योग्यता रखते हों। समिति को और प्रतिनिधिक बनाने के उद्देश्य से बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी कटक के खातेदारों में से अधिक से अधिक 4 सदस्यों को नामांकित कर सकता है, जो आवश्यक योग्यता रखते हों।

(2) चकबन्दी समिति के सदस्यों का शिक्षित होना वांछनीय है और उनके लिए आवश्यक है कि वे–

(क) 21 वर्ष की आयु से कम न हों, तथा

(ख) कटक के अन्तर्गत खेती करते हों;

परन्तु यह कि यदि निर्वाचित सदयों की अपेक्षित संख्या को पूरा करने के लिये कटक में खेती करने वाली भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष सदस्य भूमि प्रबन्ध समिति के अन्य सदस्यों में से निर्वाचित किए जा सकते हैं।

(3) जब कटक में केवल एक ही ग्राम हो तथा ग्राम की भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक न हो, तो भूमि प्रबन्धक समिति के सभी सदस्य चकबन्दी समिति के सदस्य हो जायेंगे। उन दशाओं में जब तक ग्राम की भूमि प्रबन्ध समिति के सदस्यों की संख्या 5 से अधिक हो या जब कटक में एक से अधिक ग्राम हों तथा उनकी सब भूमि प्रबन्धक समितियों के सदस्यों को मिलाकर संख्या 5 से अधिक हो, तो चकबन्दी अधिकारी, भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों के सदस्यों को जैसी भी दशा हो, उपनियम (1) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा दी गयी आज्ञाओं के अनुसार निर्वाचित किए जाने के लिए अपेक्षित संख्या में सदस्यों को निर्वाचित करने की आज्ञा देगा।

(4) उन दशाओं में, जब चकबन्दी समिति का निर्वाचन केवल एक ही भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा किया जाए, भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष, यदि वह चकबन्दी समिति के सदस्य के रुप में निर्वाचित हो जाए, चकबन्दी समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। अन्य दशाओं में, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा उपनियम (1) के अनुसार सदस्यों के, यदि कोई हो, नामांकन के पश्चात् समिति अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेगी;

परन्तु यह कि यदि भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष चकबन्दी समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने पर या इसके पश्चात् किसी समय चकबन्दी समिति के अध्यक्ष का कार्य करने से इंकार करे या पद से त्याग करे, तो उक्त उपबन्ध लागू न होगा तथा समिति के सदस्य अपने में से अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

(5) उन दशाओं में, जहां निर्वाचन उपनियम (6) के खण्ड (क) के अन्तर्गत न हो, चकबन्दी समिति के सदस्य, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा उपनियम (1) के अनुसार नामांकन, यदि कोई हो, करने के पश्चात् अपने में से अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

(6) (क) निर्वाचन चकबन्दीकर्ता द्वारा संचालित किये जायेंगे और प्रबन्धक समितियों के सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड पंचायत राज्य भूमि प्रबन्धक समिति (सदस्यों का निर्वाचन) नियमावली में निर्धारित प्रकिया का अनुसरण किया जाएगा।

(ख) खण्ड (क) के अधीन निर्वाचन के संचालन से क्षुब्ध कोई व्यक्ति निर्वाचन के दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

(7) इस प्रकार संगठित चकबन्दी समिति अधिनियम की धारा 37 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने तक कार्य करेगी जब तक उप नियम 9 (क) के उपबन्धों के अधीन पुनः संगठन न किया जाये या उसके स्थान पर कोई अन्य अधिकारी नियुक्त न किया जाये या भूमि प्रबन्धक समितियों में से किसी समिति का, यदि चकबन्दी समिति एक से अधिक भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा निर्वाचित की गयी हो, कार्यकाल समाप्त न हो जाए, पश्चात्वर्ती दशाओं में चकबन्दी समिति तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि नयी भूमि प्रबन्धक समिति या भूमि प्रबन्धक समितियों, जैसी भी दशा हो, दूसरी चकबन्दी समिति का निर्वाचन न कर लें;

परन्तु यह कि यदि कटक के सम्बंन्ध में नयी निर्वाचित भूमि प्रबन्धक समिति के धारा 37 के अधीन विज्ञप्ति जारी होने के पहले दूसरी प्रबन्धक समिति द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने की सम्भावना हो, जो बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, यह अपेक्षा कर सकता है कि पहले से ही संगठित चकबन्दी समितियाँ उस समय तक कार्य करती रहेंगी, जो वह निर्दिष्ट करे।

(8) किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिस पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 117–क की उपधारा (2) या तद्विषयक उत्तराखण्ड अन्तरण एवम् संशोधित अधिनियम प्रवृत्त होती हो, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी सम्बद्ध स्थानिक प्राधिकारी के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, सम्बद्ध क्षेत्र के निवासियों में से योग्य सदस्यों की वह संख्या, जो पाँच से कम ना हो तथा ग्यारह से अधिक न हो, नामांकित करेगा।

(9) (क) यदि उपनियम (8) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा नामित व्यक्तियों में स्थानीय प्राधिकरण का अध्यक्ष भी हो, तो वह चकबन्दी समिति के अध्यक्ष रूप में भी कार्य करेगा;

परन्तु यह कि यदि स्थानीय प्राधिकरण का अध्यक्ष समिति के सदस्य के रूप में अपना नामांकन होने पर या इसके पश्चात् किसी भी समय चकबन्दी समिति का काम करने से इंकार करें या पद त्याग करें, तो उक्त उपबन्ध लागू न होगा तथा समिति के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।

(ख) ऐसे मामलो में, जो खण्ड (क) के अन्तर्गत न आते हों, समिति के बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा नामांकित समिति के सदस्य, अपने में से अध्यक्ष निर्वाचित करेगें ।

(10) यदि किसी समय बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को इस बात का पता चलता है कि–

(क) अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित इकाई में कोई भूमि प्रबन्धक समिति नहीं है या यह कि भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों ने समुचित समय के भीतर चकबन्दी समिति के सदस्यों को नियत संख्या में निर्वाचित नहीं किया है, तो वह विशेष आज्ञा द्वारा, उतने ही व्यक्तियों को, जिनकी संख्या दो से कम न होगी, नामांकित कर सकता है तथा चकबन्दी समिति में उक्त व्यक्ति होंगे तथा ऐसे नामांकन की सूचना इकाई में स्थित सार्वजनिक स्थल पर तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर भी चिपकाकर प्रदर्शित किया जायेगा; या

(ख) यदि चकबन्दी समिति ने बिना किसी समुचित कारण या हेतु के अधिनियम या नियमावली द्वारा आरोपित या अभ्यर्पित कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का सम्पादन करने से इंकार कर दिया है अथवा ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी है कि चकबन्दी समिति उपर्युक्त कर्तव्यों का पालन या कृत्यों का सम्पादन करने में असमर्थ हो गयी है तो वह, विशेष आज्ञा द्वारा इस नियमावली के उपबन्धों के अनुसार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक नई चकबन्दी समिति संगठित कर सकता है, या उतने व्यक्तियों को जिनकी संख्या दो से कम न होगी, नामांकित कर सकता है, जिन्हे वह नई समिति संगठित करने के लिये उचित समझे।

(11) चकबन्दी समिति के किसी सदस्य या अध्यक्ष का त्याग–पत्र, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा स्वीकार किया जा सकता है।

(12) (क) चकबन्दी समिति के सदस्यों की रिक्ति पूर्ति–

(1) भूमि प्रबन्धक समिति या समितियों द्वारा, जैसी भी दशा हो, उपनियम (6) में दी गयी रीति से निर्वाचन करके, यदि बहिर्गामी सदस्य कोई निर्वाचित सदस्य रहा हो, की जाएगी।

(2) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा नामांकन करके, यदि बहिर्गामी सदस्य नामांकित सदस्य रहा हो, की जाएगी।

(ख) चकबन्दी समिति के अध्यक्ष के रिक्त पद की पूर्ति उपनियम (5) या उपनियम (9) में, जैसी दशा हो, दी गयी रीति से की जायेगी।

नोटिस की तामील

4. धारा 2 की उपधारा (6) उसमे वर्जित नोटिस की तामील करने में, जिसमें कटक में किसी लेख्य के प्रकाशन की दिनांक की सूचना दी गयी हो, तामील करने वाला अधिकारी, जब भूमि प्रबन्धक समिति का कोई सदस्य तामील के समय अपने निवास स्थान पर उपस्थिति न हो या जब सभी उचित एवं तदर्थ श्रम के पश्चात् भी वह न मिले, तो उस घर के, जिसमें वह सामान्यतया निवास करता हो या व्यापार करता हो या लाभ के लिये स्वयं काम करता हो, बाहरी दरवाजे पर या उसके किसी प्रमुख स्थान पर नोटिस चिपका कर उसकी तामील करेगा।

संरक्षक की नियुक्ति एवं नामों का प्रकाशन

5. (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से अधिनियम के अधीन चकबन्दी कार्यवाहियों के प्रयोजनों के निमित्त ऐसे खातेदारों के सम्बन्ध में, जो अवयस्क, जड़बुद्धि (Idiot) या पागल हो, संरक्षक (Gaurdian) नियुक्त करेगा, यदि संरक्षक सक्षम न्यायालय द्वारा पहले से ही नियुक्त न कर दिया गया हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन अवयस्क, जड़ या पागल के लिये नियुक्त संरक्षक, उसका प्राकृतिक संरक्षक होगा, जब तक कि प्राकृतिक संरक्षक ऐसा स्वत्व न रखता हो, जो अवयस्क, जड़ या पागल के स्वत्व के प्रतिकूल हो। यदि स्वाभाविक संरक्षक इस प्रकार नियुक्त न किया जाए, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उसके कारणों को अभिलिखित करेगा तथा तत्पश्चात् अवयस्क, जड़ या पागल के ऐसे निकटतम पुरुष सम्बन्धी को, जो उसके सम्बन्ध में प्रतिकूल स्वत्व न रखता हो, उसका संरक्षक नियुक्त करेगा।

(3) ऐसे सभी संरक्षकों या प्रतिनिधियों की एक सूची संरक्षितों के नामों सहित सम्बद्ध ग्राम में प्रकाशित की जाएगी तथा कोई ऐसा व्यक्ति जिसका उक्त संरक्षित से सम्बन्ध हो, ऐसे प्रकाशन के 15 दिन के भीतर की चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उक्त नियुक्ति के विरुद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें आज्ञा, धारा 33 के अधीन दी गई आज्ञाओं के अनुसार किये परिष्कार (Modification), यदि कोई हो के अधीन अन्तिम होगी।

भाग 3

गांव के नक्शों का पुनरीक्षण, मानक गाटों का अवधारण, सिद्धान्तों का विवरण आदि

गांव के नक्शों का पुनरीक्षण

6. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी कटक हेतु चकबन्दी योजना तैयार करने से पूर्व, चकबन्दी कियाओं के अधीन गांव का नक्शा, खसरा व वार्षिक रजिस्टर अधिनियम की धाराएं 7 से 11 तक के उपबन्धों के अधीन पूर्णरुप से पुनरीक्षित किया जायेगा। जिला उप संचालक चकबन्दी के लिये यह आवश्यक नहीं होगा कि वह किसी गांव की चकबन्दी कियाओं के अधीन रहने की अवधि में, इन अभिलेखों को प्रतिवर्ष तैयार कराए। वर्तमान अधिकारों का अभिलेख रखने के लिये वह वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित किन्ही अधिकारों या स्वत्वों के प्रभावित करने वाले परिवर्तनों तथा संक्रमणों से सम्बन्धित अधिनियम की धारा 12 के अधीन पारित समस्त आदेशों को रजिस्टर में, इस प्रयोजन के लिये अभिप्रेत स्तम्भों में लाल स्याही से अंकित कराकर धारा 10(1) के अधीन प्रकाशित अभिलेखों को अद्यावधिक कराएगा, जब तक कि अधिनियम की धारा 18 के अधीन एक नया अधिकार अभिलेख तैयार न किया जाए।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी धारा 4(1) (ख) में अभिदिष्ट अनुज्ञा प्रदान करेगा, जब तक कि ऐसे कारणों से, जिन्हें वह अभिलिखित करेगा, उसका यह समाधान न हो जाये कि प्रस्तावित अंतरण से चकबन्दी योजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

चकबन्दी की अधिसूचना का रद्द किया जाना

7. अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी की गयी अधिसूचना अन्य कारणों के साथ, निम्नलिखित किसी एक या एक से अधिक आधारों पर समस्त क्षेत्र या उसके किसी भाग के सम्बन्ध में रदद् की जा सकती है, अर्थात–

(क) क्षेत्र इस प्रकार की विकास योजना के अधीन है कि उसके पूर्ण होने पर उसमें चकबन्दी क्रियाये किसानों के एक वर्ग लिये अन्यायपूर्ण हो जाएगी;

(ख) ग्राम की जोतों की किसी न किसी कारण से पहले ही चकबन्दी हो चुकी है तथा खातेदार सामान्यतः वर्तमान स्थिति से सन्तुष्ट है;

(ग) ग्राम में दलबन्दी या चकबन्दी प्रकिया का प्रबल जनविरोध है, जिसके कारण ग्राम में उचित रूप से चकबन्दी कार्यवाहियाँ करना बहुत कठिन है;

(घ) क्षेत्र की सारी भूमि को तदर्थ एक करने के पश्चात् उस क्षेत्र में खेती करने के लिये सहकारी समिति बनायी जा चुकी है।

निर्विवाद उत्तराधिकार के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रकिया

8. अधिनियम की धारा 6, के अधीन दाखिल किये गये मामलों का निस्तारण–

(1) अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत निर्विवाद उत्तराधिकार/विरासत के प्रकरण का निस्तारण चकबन्दीकर्ता द्वारा चकबन्दी लेखपाल की आख्या एवं स्वयं के सम्यक जाँच के पश्चात् किया जायेगा। यदि आवश्यक समझे तो चकबन्दीकर्ता, चकबन्दी समिति या भूमि प्रबन्धक समिति, जैसी भी दशा हो, से परामर्श लेगा।

(2) अधिनियम के अन्तर्गत निर्विवाद नामांतरण के मामले का निस्तारण सहायक चकबन्दी अधिकारी सम्बन्धित विलेख के सम्यक जाँचोंपरान्त पक्षकारों की सहमति के आधार पर कर सकेंगे।

उपनियम (1) व (2) में पारित आदेशों के प्रवर्ती भाग का ब्यौरा अधिकार अभिलेख और मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे।

(3) यह संज्ञान में आने पर कि किसी तथ्य को छुपाकर या गलत तथ्यों के आधार पर धारा 6 के अन्तर्गत चकबन्दीकर्ता या सहायक चकबन्दी अधिकारी से निर्विवाद उत्तराधिकार या नामांतरण के मामले में त्रुटिपूर्ण आदेश पारित करा लिया गया है, तो उसे बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी सम्यक सुनवाई के उपरान्त ऐसे दूषित आदेश को निरस्त कर सकेंगे। इसका निस्तारण बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा उसी प्रकियानुसार किया जायेगा, जैसा कि अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत की जाती है।

ग्राम के नक्शे के पुनरीक्षण की पद्धति

9.. (क) चकबन्दी कियाओं के अधीन रखे गये कटक के ग्राम के नक्शे का पुनरीक्षण या तो–

(1) ग्राम के नक्शों का पुनरीक्षण एवं संशोधन का कार्य अत्याधुनिक तकनीकी डिजीटल पद्धति से किया जायेगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी तकनीकी यथा–

1- Differential Global Positioning system (DGPS),

2- Electrinic Total Station Machine,

3- Digital Leveling Machine network bored ROR Software,

4- G.T.S based spatial data processing software (IGIS Software),

5- Aerial Survey,

अथवा

अन्य किसी समकक्ष तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है।

(2) उप नियम (1) की रीति से तैयार पुनरीक्षित नक्शों की जांच नक्शा संशोधन करने की साधारण रीति द्वारा किया जायेगा, जिसमें प्रत्येक खेत की, जैसा कि वह नक्शे मे दिखाया गया है, तुलना स्थल पर उसकी आकृति एवं परिणाम से की जाती है तथा जहाँ आवश्यक हो, नक्शों में दी गयी आकृति एवं परिणाम से आवश्यक नाप–जोख के पश्चात् संशोधन किये जाते है; या

(3) पूर्ण व्यवसायिक मापन (पुनः मापन) द्वारा किया जायेगा। जिला चकबन्दी संचालक यदि उसे पहले से ही आवश्यक सूचना प्राप्त न हुई हो, अपने जिले में चकबन्दी कियाओं के अधीन रखे गये समस्त कटकों के ग्राम के नक्शों की दशा के बारे में जाँच कराएगा तथा ऊपर बतायी गयी रीतियों में से किसी एक में नक्शों को आद्यावधिक (up to date) करने के लिये ग्रामों को चुनेगा। वह फिर नक्शों को तद्नुसार पुनरीक्षित करवाने की कार्यवाही करेगा।

(ख) ग्रामों का व्यवसायिक मापन करने में **"मैनुअल फार दी रिवीजन आफ मैप्स एण्ड रिकार्डस"** के अध्याय 6 और 9 में समाविष्ट अनुदेश एवं नक्शा संशोधन करने की साधारण रीति द्वारा नक्शा को पुनरीक्षित करने में समाविष्ट अनुदेश, आवश्यक परिवर्तनों सहित प्रवृत्त होंगे।

(ग) नक्शे के साधारण संशोधन का कार्य चकबन्दी लेखपाल द्वारा किया जायेगा। इसकी जाँच चकबन्दीकर्ता एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा ग्रामों की खेतवार पड़ताल करते समय की जाएगी।

(घ) समकोण ग्राम में व्यवसायिक मापन एवं समकोण का कार्य समकोणकार द्वारा किया जाएेगा जिसके कार्य की जाँच सहायक समकोण अधिकारी और समकोण अधिकारी करेंगे। इन अधिकारियों के न होने की दशा में उक्त कार्य कमशः चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी करेंगे।

(ड.) डिजिटल पद्धति से किये गये पुनरीक्षित नक्शे व अभिलेख की जाँच चकबन्दी लेखपाल और चकबन्दीकर्ता द्वारा किये जायेंगे।

वार्षिक रजिस्टर की जांच

10. चालू वार्षिक रजिस्टर की समस्त प्रविष्टियों की शत–प्रतिशत जाँच चकबन्दीकर्ता द्वारा उन्हें विगत वार्षिक रजिस्टर या रजिस्टरों एवं सम्बद्ध खसरों तथा पिछले बन्दोबस्त या अभिलेखों के पुनरीक्षण के समय तैयार किए गये अधिकार अभिलेखों की प्रविष्टियों से भी मिलाकर की जायेगी। पायी गई अशुद्धियाँ तथा विवाद भौमिक अभिलेखों की अशुद्धियों और विवादों की सूची के समुचित स्तम्भों में पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–4 में दर्ज किये जायेंगे।

वार्षिक रजिस्टर में अशुद्वियों के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रकिया

11. नियम 10 में नियत रीति से वार्षिक रजिस्टर की जाँच हो जाने के पश्चात् चकबन्दीकर्ता द्वारा वार्षिक रजिस्टर की प्रविष्टियों की सत्यता की परीक्षा पूर्णरुप से की जाएगी। यह कार्य ग्राम में अभिलेख को पढ़कर और उसकी प्रत्येक प्रविष्टि को ग्राम में ही कहीं पर यथासम्भव अधिकाधिक संख्या में एकत्रित हुए खातेदारों को समझा कर किया जायेगा। वह सम्बद्ध खातेदारों एवं स्वत्व रखने वाले व्यक्तियों के विचार भी, संयुक्त जोतों मे उनके अंशों के सम्बन्ध में मालूम करेगा। पाई गयी अशुद्धियाँ तथा विवाद और सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा इंगित किए गये अंश भौमिक अभिलेखों की अशुद्धियों और विवादों की सूची के समुचित स्तम्भों में पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–4 मे दर्ज किये जायेंगे।

मानक गाटों का अवधारण

12. (क) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता द्वारा किए गये वार्षिक रजिस्टर के परीक्षण एवं सत्यापन कार्य की जाँच करेगा और धारा 8 (क) की उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार कटक हेतु मानक गाटों का अवधारण करेगा।

(ख) मानक गाटों की सूची जोत चकबन्दी आकार पत्र–7 ख में तैयार की जायेगी और गाँव के नक्शें में मानक गाटा को लाल स्याही से दर्शाया जायेगा तथा ग्राम में प्रकाशित किया जायेगा। मानक गाटों के सम्बन्ध में सूची प्रकाशित होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियाँ ग्राम के मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। वह अपनी रिपोर्ट के साथ आपत्तियों को चकबन्दी अधिकारी के पास भेज देगा, जो सम्बन्धित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने तथा स्थल पर निरीक्षण करने के पश्चात् आपत्तियों पर निर्णय देगा।

(ग) उपनियम (ख) के अधीन चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आज्ञा की दिनांक से 15 दिन के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी के समक्ष अपील कर सकता है, जो सम्बद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने तथा यदि आवश्यक हो, स्थल पर निरीक्षण करने के पश्चात् उस पर अपना निर्णय देगा। बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी की आज्ञा अंतिम होगी तथा उस पर आगे कोई आपत्ति न की जा सकेगी।

गाटों की पड़ताल

13. नियम 10, 11 व 12 में नियत वार्षिक रजिस्टर की जाँच एवं परीक्षा करने के पश्चात् चकबन्दीकर्ता, चकबन्दी समिति के साथ ग्राम के जितने खातेदारों को वह एकत्र कर सके, उनके साथ सभी गाटों को खेत में जाकर पड़ताल करेगा तथा परिणामों को वह पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–2 "खसरा चकबन्दी" मे दर्ज करेगा। पड़ताल के समय पायी गयी अशुद्धियाँ तथा विवाद भी साथ ही साथ भौमिक अभिलेखों की अशुद्धियाँ एवं विवादों को सूची के समुचित स्तम्भों में आकार पत्र–4 में दर्ज किये जायेंगे।

अशुद्धियों का लिखा जाना

14. नियम 10, 11 व 12 में लिखित अशुद्धियों एवं विवादों की सूची पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–4 में दो भागों मे तैयार की जाएगी। भाग–1 में लिपिकीय अशुद्धियाँ रहेगी और भाग–2 मे ऐसी अन्य अशुद्धियाँ एवं विवाद रहेंगे जो नियम 10 से 13 तक में अभिदिष्ट वार्षिक रजिस्टर की जाँच एवं सत्यापन तथा खेतवार पड़ताल के दौरान मालूम हुए हों। संयुक्त जोतों मे अभ्यर्पित अंशों के ब्यौरे भी, पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–4 के भाग 2 मे अभिलिखित किए जायेंगे। इसके साथ ही गाटों के कमी–बेसी तथा डबल रकबे व मतरूक गाटों के सम्बन्ध में भी अशुद्धियाँ अभिलिखित की जायेगी।

सिंचाई योग्य गाटे

15. ग्राम की खेतवार पड़ताल करते समय चकबन्दीकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि गाटा सिंचाई योग्य है या नहीं और इसके साथ ही वह खसरा चकबन्दी के स्तम्भ 19 में प्रत्येक सिंचाई योग्य गाटे के सिचांई का साधन तथा उसकी रीति इंगित करेगा। आधे से अधिक गाटा सिंचाई योग्य हो तो पूर्ण गाटा सिंचाई योग्य समझा जाएगा। गाटे का सिंचाई योग्य क्षेत्र खसरा चकबन्दी के स्तम्भ 20 में अभिलिखित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण– निम्नलिखित साधनो से सींचे गये गाटे सिंचाई योग्य समझे जायेंगे–

(1) नहर, नलकूप और अन्य कुएँ, जो टिकाऊ हो। कच्चे कुएँ सामान्यत टिकाऊ न समझे जायेंगे। जब तक कि चकबन्दी समिति अन्यथा निर्णय न करे और यह निर्णय बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा पुष्ट न कर दिया जाय;

(2) नदियाँ, झीलें, नालें, तालाब, पोखर और अन्य साधन, जिनमें किसी सामान्य वर्ष मे पूरी फसल के सिंचाई प्रयोजनों के लिये पानी मिलता हो।

वार्षिक रजिस्टर का सत्यापन

16. (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता द्वारा अपनी वार्षिक रजिस्टर की जाँच तथा सत्यापन एवं खेतवार पड़ताल के समय पायी गयी अशुद्धियों एवं विवादों तथा पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–4 मे अभिलिखित अंशों की जाँच करेगा और इसके

अतिरिक्त वह ग्राम के कम से कम 20 प्रतिशत गाटों के सम्बन्ध में प्रविष्टियों की स्वयं पड़ताल करके चकबन्दीकर्ता के कार्य की जाँच करेगा। सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा किये गये कार्य की जाँच चकबन्दी अधिकारी एवं बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये करेंगे कि सभी अशुद्धियों, विवादों और संयुक्त जोतों में अंशो की विशिष्ट अशुद्धियों एवं विवादों की सूची मे दर्ज कर दिया गया है।

(2) सहायक चकबन्दी अधिकारी को सम्बद्ध ग्राम हेतु चालू बन्दोबस्त या तालिकाबद्ध कियाओं में तैयार की गयी मिट्टी के वर्गीकरण के नक्शे की प्रति ग्राम की एक खेतवार पड़ताल की जाँच करने से काफी पहले दी जाएगी।

(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी चालू बन्दोबस्त या तालिकाबद्ध कियाओं के समय अवधारित मिट्टी के वर्गीकरण के ब्यौरे के नियम के अधीन तैयार किये गये ग्राम के नक्शे की प्रति मे समाविष्ट कराएगा।

गाटों के विनिमय अनुपात का अवधारण

17. (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, मानक गाटों की अन्तिम सूची की सहायता से कटक में प्रत्येक गाटा के विनिमय अनुपात का अवधारण करने का काम अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में संलग्न स्पष्टीकरण के अन्तर्गत आने वाले गाटों या गाटों के भागों को छोडकर जिसकी सूची पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–12 में तैयार की जायेगी, आरम्भ करेगा। गाटों का विनिमय अनुपात सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा कटक के खातेदारों से जितने वह एकत्र कर सके, पूछताछ करने के पश्चात् चकबन्दी समिति के परामर्श से अवधारित किया जायेगा। इस प्रकार अवधारित प्रत्येक गाटे का विनिमय अनुपात उपनियम (3) के अधीन तैयार किये गये नक्शों की प्रति में दिखाया जाएगा।

(2) प्रत्येक गाटा का विनिमय अनुपात अवधारित करने में अग्रलिखित तथ्यों पर विचार किया जायेगा–

(अ) चालू बन्दोबस्त या तालिकाबद्ध कियाओं में यथा अभिलिखित गाटे की वर्तमान मिट्टी का वर्ग ;

(ब) गाटे की मिट्टी के संघटक सामान्यतया उपजाई जाने वाली फसलों की संख्या और किस्म तथा उत्पादन की मात्रा;

(स) सिंचाई सम्बन्धित सुविधाओं की प्राप्यता:

(द) स्थिति, जिसका सम्बन्ध कृषि के व्यय या उनकी देख–रेख या गाटे के उत्पादन के क्रय–विक्रय से है;

(3) प्रत्येक गाटे के विनिमय के अनुपात का ठीक अवधारण करने की अन्तिम जिम्मेदारी सहायक चकबन्दी अधिकारी की ही होगी।

(4) प्रत्येक गाटे का विनिमय अनुपात अभिदिष्ट कटक के नक्शे में दर्ज किया जायेगा।

(5) प्रत्येक गाटे के विनिमय अनुपात का अवधारण करते समय, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से तथा कटक के उतने खातेदारों से, जितने वह एकत्र कर सके, पूछताछ करने के पश्चात् प्रतिकर के अवधारण से, प्रयोजनों के लिये गाटे में स्थित प्रत्येक पेड, सिंचाई के साधन तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्य भी अवधारित करेगा। इस प्रकार अवधारित मूल्य पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–2 के खसरा चकबन्दी के सम्बन्धित स्तम्भ–12 में दर्ज किया जाएगा। पेड़ का मूल्य अवधारित करने में सहायक चकबन्दी अधिकारी उसका बाजारी मूल्य मालूम करने के उद्देश्य से उसकी आयु एवं किस्म पर विचार करेगा और सिंचाई के साधन तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्य अवधारित करने में वह उसके प्रकार, आयु, मरम्मत और उपभोज्यता पर विचार करेगा। यदि वह ऐसा निर्णय करें तो सहायक चकबन्दी अधिकारी स्वयं किसी निर्णय पर पहुँचने के पहले बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी से आग्रह कर सकता है कि वह कुऐं तथा अन्य समुन्नति के मूल्य का अनुपात सार्वजनिक निर्माण विभाग के किसी अधिकारी द्वारा करा लें। यदि किसी पेड़, सिंचाई के साधन, या अन्य समुन्नति पर एक से अधिक व्यक्तियों का स्वामित्व हो, तो प्रतिकर की धनराशि, जो अवधारित की जायें, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा भिन्न–भिन्न सह–स्वामियों में उनके अंशो के सम्बन्ध में आवश्यक पूछताछ करने के पश्चात् विभाजित की जाएगी;

(6) चकबन्दी अधिकारी प्रत्येक कटक के 10 प्रतिशत तक के गाटों के विनिमय अनुपात की जाँच, उनके मूल्यांकन के परिगणन, पेड़ो तथा अन्य समुन्नतियों के अवधारण के साथ–साथ करेगा। बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी भी प्रत्येक सहायक चकबन्दी अधिकारी के क्षेत्र की कम से कम 10 प्रतिशत कटकों में उपर्युक्त कार्य की जाँच, स्थल पर करेगा।

(7) (अ) विनिमय अनुपात निर्धारण के दौरान चकबन्दी समिति के परामर्श पर सहायक चकबन्दी अधिकारी यदि किसी गाटे/क्षेत्र विशेष को भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार चकबन्दी में शामिल नहीं कराना चाहेगा तो 'चकबन्दी पृथक' दर्ज कर सकेगा।

(ब) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना (चक निर्माण) के दौरान यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी यह पाता है कि किसी ऐसे गाटे को चक निर्माण प्रकिया में विनिमय के लिये सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, जिसे कि नियम 17 के उपनियम (1) एवं 17 के उपनियम (7) के खण्ड (अ) के अन्तर्गत चक निर्माण से पृथक दर्ज किया गया है तो चकबन्दी समिति के परामर्श से ऐसे विशेष गाटों

को चकबन्दी अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त चक निर्माण प्रक्रिया में शामिल कर सकेगा।

(8) नक्शे की प्रति, जिसमें तैयार किये गये चकबन्दी योग्य गाटों के विनिमय अनुपात दिखाये गये हों, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में उल्लिखित अन्य अभिलेखों के साथ कटक में प्रकाशित की जाएगी।

सिद्धान्तों का विवरण तैयार करने की प्रकिया

18. (1) "सिद्धान्तों का विवरण" स्वयं सहायक चकबन्दी द्वारा पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–13 में चकबन्दी समिति के परामर्श से और उतने खातेदारों से, जितने वह एकत्र कर सके, पूछताछ करने के पश्चात् किया जाएगा। सिद्धान्तों को समाविष्ट करने के कारण दिए होंगे तथा उनके साथ कटक के नक्शे की एक प्रति होगी, जिसमें निम्नलिखित दिए जायेंगे–

(क) कटक के मानक गाटे, जैसे कि वे नियम 12 के अधीन अवधारित हो,

(ख) वर्तमान स्थायी विशेषतायें जैसे आबादी स्थल, नहरें, गूलों के साथ उनके राजवाहों, सडकें, बाग, नदी, कुएँ, नालिया, कब्रिस्तान, श्मशान एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त अन्य क्षेत्र;

(ग) किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजनो के विनिर्दिष्ट क्षेत्र।

(2) आबादी के विस्तार के लिये भूमि के आरक्षण के अतिरिक्त, जिसके अर्न्तगत कटक के अनुसूचित जाति तथा भूमिहीन व्यक्तियों की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं के लिये आबादी स्थलों हेतु क्षेत्र भी है, प्रत्येक कटक की आवश्यकताओं के अनुसार निम्नलिखित सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भूमि आरक्षित की जा सकती है–

(1) खाद के गडढ़ें;

(2) सडक ग्राम एवं अन्तर ग्राम रास्ते;

(3) गोचर भूमि;

(4) खेल का मैदान;

(5) प्राथमिक तथा अन्य विद्यालय;

(6) खलिहान;

(7) अस्पताल;

(8) पंचायत घर, सामुदायिक भवन;

(9) वृक्षारोपण;

(10) शमशान एवं कब्रिस्तान;

(11) सिंचाई प्रयोजन के लिये जल कुल्प, गूलें या नालियाँ एवं नहरें;

(घ) इसी प्रकार से कोई अन्य उद्देश्य, जिनके लिए कटक के खातेदारो के हित में भूमि का आरक्षण आवश्यक समझा जाए।

(3) सिद्धान्तों का विवरण तैयार करते समय कटक की प्रत्येक विशिष्ट समस्या पर, जिसका सम्बन्ध चकों के समान प्रदेशन से हो, सहायक चकबन्दी अधिकारी एवं समिति ध्यान देगी। जिन सिद्धान्तों पर, इस प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का प्रस्ताव हो, उन्हें अधिनियम एवं इस नियमावली के उपबन्धों के अनुरुप होना चाहिये तथा उन्हें विवरण में समाविष्ट किया जाना चाहिए।

(4) यदि सहायक चकबन्दी अधिकारी एवं चकबन्दी समिति में सिद्धान्तों के विवरण में किसी विषय पर मतभेद हो तो सहायक चकबन्दी अधिकारी विषयों के सम्बन्ध में एक टिप्पणी तैयार करेगा तथा उसे चकबन्दी अधिकारी को भेज देगा।

(5) यदि चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी एवं चकबन्दी समिति के मतभेद को सुलझाने में असमर्थ हो तो वह मतभेद के प्रत्येक विषय पर अपनी राय के साथ अभिलेख को बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी को भेज देगा।

(6) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, चकबन्दी समिति की सुनवाई करने के पश्चात् उपनियम (5) के अधीन अभिदिष्ट विषय पर अपना निर्णय देगा।

(7) सिद्धान्तों का विवरण, नियम 19 के उपनियम (1) के अधीन तैयार किये गये नक्शें के साथ, कटक में प्रकाशित किया जायेगा।

सिद्धान्तों के विवरण पर आपत्ति

19. (1) अधिनियम की धारा 9 के अधीन सिद्धान्तों के विवरण पत्र के विरुद्ध सभी आपत्तियाँ लिखित रूप में प्रस्तुत की जायेगी तथा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेगा। उनमें स्पष्ट रुप से यह रीति दी जायेगी जिसके आपत्तिकर्ताओं के हित पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो।

(2) चकबन्दी अधिकारी या बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन स्थानीय निरीक्षण करते समय या धारा 11 के अधीन अपील पर निर्णय देने के प्रयोजन के लिये निरीक्षण ज्ञाप तैयार करेगा तथा उसे पत्रावली में रखेगा, जिसमें उसकी आज्ञा हों।

भूमि के संबंध में नोटिस एवं उस पर आपत्ति

20. (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, जोत चकबन्दी आकार पत्र–4 की सूची के भाग 1 मे दर्ज की गयी सभी लिपिकीय अशुद्धियों की शुद्धता के लिए जहाँ आवश्यक हो, गांव के पहले के भौमिक अभिलेखों को देख कर भौमिक अभिलेखों की अशुद्धियां और विवादो की सूची के समुचित स्तम्भों में लिखित में आज्ञा देगा। तब वह

आज्ञायें लेखपाल द्वारा वार्षिक रजिस्टर के सम्बद्ध खातों में लिखी जायेगी और चकबन्दीकर्ता द्वारा प्रमाणित की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित सहायक चकबन्दी अधिकारी की आज्ञाओं के कार्यान्वित होने के पश्चात उन नोटिसों की, जिनमें वार्षिक रजिस्टर के सभी खातों के सम्बन्ध में जोत चकबन्दी आकार पत्र–5क में संगत उद्धरण दिये हों, और (यदि आवश्यक हो) जोत चकबन्दी आकार पत्र–5ख में नोटिसों की आवश्यक संख्या में प्रतियाँ चकबन्दी लेखपाल द्वारा तैयार की जायेगी और चकबन्दीकर्ता द्वारा उनकी जाँच की जायेगी उनकी शुद्धता सुनिश्चित करने के लिये कम से कम 20 प्रतिशत नोटिसों की जाँच सहायक चकबन्दी अधिकारी भी करेगा।

(3) (क) जोत चकबन्दी आकार पत्र–5क में, और यदि आवश्यक हो, तो जोत चकबन्दी आकार पत्र–5ख में भी नोटिस, सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर से कमशः सम्बद्ध खातेदारों और स्वत्व रखने वाले व्यक्ति को जारी किये जायेंगे।

(ख) सरकारी विभागों की भूमि के सम्बन्ध में नोटिस, स्थानीय जिला कार्यालय के अध्यक्षों (जिनके अन्तर्गत निष्क्रान्त सम्पत्ति के सहायक अभिरक्षक भी हैं) को भेजे जायेंगे। गाँव सभा या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारियों की या उसमें निहित भूमि के सम्बन्ध में नोटिस गांव सभा के प्रधान या स्थानीय प्राधिकरण के अध्यक्ष, जैसी भी दशा हो, को भेजे जायेंगे।

(ग) खण्ड (क) और (ख) के अधीन जारी किये गये नोटिस की कार्यालय प्रतियाँ तब तक सामान्य ग्राम पत्रावली में रखी जायेंगी जब तक की उनके लिये पृथक पत्रावलियाँ न बना दी जायें। सामान्य ग्राम पत्रावली में उसकी विषय सूची की यथोचित अनुक्रमणिका होगी।

(4) आपत्तिकर्ता निम्नलिखित के सम्बन्ध में पृथक आपत्तियाँ प्रस्तुत करेगा–

(क) संयुक्त जोतों में व्यक्तिगत खातेदारों के अंशों की विशिष्टता के साथ भूमि के सम्बन्ध में अधिकार और दायित्व और विभाजन के सम्बद्ध अन्य सजातीय विषय; और

(ख) गाटों, पेडों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकनः

परन्तु यह कि कोई भी आपत्ति केवल इस कारण खारिज न की जाएगी कि खण्ड (क) व (ख) मे अभिदिष्ट विषयों के सम्बन्ध में संयुक्त आपत्ति प्रस्तुत की गई है।

(ग) सहायक चकबन्दी अधिकारी खण्ड (क) तथा खण्ड (ख) में उल्लिखित आपत्तियों की दो श्रेणियों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में पृथक वाद पत्रावलियाँ खुलवायेगा।

(घ) उपनियम (क) में उल्लिखित दो श्रेणीयों में से प्रत्येक से सम्बद्व मामले प्रत्येक सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा जोत चकबन्दी आकार पत्र 6 में एक मिसिलबन्द रजिस्टर में तिथिवार दर्ज किये जायेंगे।

जोतों के विभाजन से संबंधित मामलों का निस्तारण

21. (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी यथासम्भव धारा 9(क) की उपधारा (1), धारा 9(ख) की उपधारा (1) और धारा 9(ग) की उपधारा (1) में अभिदिष्ट विषयों के सम्बन्ध में खातेदार द्वारा प्रस्तुत की गयी सभी आपत्तियों पर कार्यवाही करेगा। धारा 9(क) की उपधारा (1) के अर्थों में समझौते के आधार पर विवादों का निर्णय करने में वह ग्राम की चकबन्दी समिति के कम से कम दो सदस्यों की उपस्थिति में समझौते की शर्तो को अभिलिखित करेगा। तत्पश्चात् सम्बद्ध पक्षों को ये शर्तें पढ़कर सुना दी जायेगी एवं उनके हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिये जायेंगे। चकबन्दी कमेटी के उपस्थित सदस्य भी समझौते की शर्तो पर हस्ताक्षर करेंगे। तत्पश्चात् सहायक चकबन्दी अधिकारी विवादों के समझौते की शर्तों के अनुसार निर्णय करते हुए अभिलेखों में की जाने वाली यथार्थ प्रविष्टियों को निर्दिष्ट करने की आज्ञा देगा। सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा दी गयी आज्ञा के प्रवर्ती भाग के ब्यौरे मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगे। सहायक चकबन्दी अधिकारी पक्षो की अनुपस्थिति में एकपक्षीय आज्ञायें न देगा।

(2) उन समस्त मामलों में जिनमें सहायक चकबन्दी अधिकारी धारा 9(क) की उपधारा (2) या धारा 9(ख) की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन चकबन्दी अधिकारी को निस्तारण के लिये रिपोर्ट भेंजे, वह चकबन्दी अधिकारी द्वारा मामलों के निस्तारण के लिये दिनांक और स्थान नियत कर सकता है एवं उसकी सूचना अपने समक्ष उपस्थित पक्षों को देगा और जो पक्ष इस प्रकार उपस्थित न हो, उन्हें नोटिस (आकार पत्र 6क) जारी करेगा। इन मामलों पर सहायक चकबन्दी अधिकारी को आख्या में, पक्षों के मध्य विवाद ग्रस्त विषयों और उनका समाधान कराने के लिये उनके द्वारा किये गये प्रयासों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा।

चकबन्दी अधिकारी द्वारा विवादों का निस्तारण

22. (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी से प्राप्त मामलें चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय में पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र 6 में मिसिलबन्द रजिस्टर में दर्ज किए जाएगें।

(2) नियम 21 के उपनियम (2) के अधीन नियत दिनांक को या उक्त प्रयोजन के लिये नियत किसी अनुवर्ती दिनांक को, चकबन्दी अधिकारी, पक्षों की सुनवाई करेगा, विवादग्रस्त प्रश्नों के सम्बन्ध में विवाद्यक (issues) बनायेगा, मौखिक और लेख्य दोनो साक्ष्य लेगा और आपत्तियों पर निर्णय देगा।

(3) ऐसे नोटिस, जो चकबन्दी अधिकारी को किसी विवाद में निस्तारण के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को जारी करना आवश्यक हो, पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–6क में होगा।

(4) यदि संयुक्त जोत के सभी खातेदार विभाजन का विरोध करें तथा चकबन्दी अधिकारी का समाधान हो जाए कि प्रत्येक सहखातेदार का विरोध यथार्थ है तो वह विभाजन की कार्यवाही तब तक आरम्भ नहीं करेगा, जब तक कि उन कारणों से जो कि उसके द्वारा अभिलिखित किये जायेंगे बेहतर चकबन्दी के हित में ऐसा करना आवश्यक न समझे।

(5) गाटे के विनिमय अनुपात का अवधारण या गाटे पर स्थित पेड़, कुएँ या अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन से सम्बद्ध विवाद का निर्णय करने के लिये चकबन्दी अधिकारी सम्बद्ध गाटे का स्थलीय निरीक्षण करेगा, निरीक्षण ज्ञाप तैयार करेगा एवं उसे सम्बद्ध पत्रावली में रखेगा।

(6) खाते का विभाजन खातेदारों के मध्य आपसी सहमति या कब्जे के आधार पर किया जा सकेगा। बाग व अन्य समुन्नतियों के खसरों के सम्बन्ध में खातेदारों के मध्य सहमति के आधार पर विभाजन विशिष्ट गाटावार (कुर्रेवार) किया जा सकेगा।

आज्ञा पारित होने के पश्चात की प्रकिया

23. चकबन्दी लेखपाल, धारा 9(क) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी एवं चकबन्दी अधिकारी द्वारा –

(1) भूमि में अधिकार तथा भूमि के सम्बन्ध में दायित्व;

(2) गाटे, पेड़ों, कुओं और अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन और

(3) संयुक्त जोतों के विभाजन के सम्बन्ध में दी गयी आज्ञायें आधार खतौनी पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–2 मे खसरा चकबन्दी और पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–11 मे पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के (जैसे ही वह तैयार हो जाए) संगत स्तम्भों में कमशः दर्ज करेगा। वह वाद संख्या, आज्ञा की दिनांक तथा उसके प्रवर्ती भागों को उपर्युक्त अभिलेखों में दर्ज करेगा। चकबन्दी लेखपाल द्वारा की गयी प्रविष्टयों की शुद्धता चकबन्दीकर्ता द्वारा प्रमाणित की जायेगी। सहायक चकबन्दी अधिकारी भी कम से कम 20 प्रतिशत प्रविष्टियों की जॉच, यह सुनिश्चित करने के लिये करेगा कि वे ठीक से कर ली गई हैं।

मालगुजारी का निर्धारण

24. (1) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी लेखपाल से नई जोतों पर देय मालगुजारी की धनराशि और वर्तमान जोतों पर मालगुजारी की धनराशि का प्रभाजन या परिवर्तन, यदि कोई हों, को दिखाने के लिये पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–7 में एक विवरण पत्र तैयार कराएगा, जहाँ यह धारा 9(क) के अधीन की गयी आज्ञाओं को देखते हुए आवश्यक हो। पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–7 में वह फसली वर्ष दिया जाएगा, जब से प्रभावित जोतों पर मालगुजारी में उपर्युक्त परिवर्तन किए जाने वाले हों।

(2) चकबन्दीकर्ता एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा विवरण–पत्र की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु उसकी जाँच हो जाने के पश्चात् वह कटक में प्रकाशित किया जाएगा और उसके प्रकाशन की दिनांक से 7 दिन के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों की जाँच सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी विवरण–पत्र में ऐसे परिवर्तन करने के पश्चात् जिन्हे यह आवश्यक समझे, उसे चकबन्दी अधिकारी के पास प्राप्त हुई प्रत्येक आपत्ति अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा। चकबन्दी अधिकारी भी विवरण–पत्र की शुद्धता के बारे में अपना समाधान करने के लिये उसकी जाँच करेगा। वह पाई गई अशुद्धियों की रिपोर्ट तैयार करेगा और इस प्रकार की गयी अशुद्धियों पर आद्याक्षर करेगा एवं विवरण–पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी आख्या के साथ, यदि कोई हो, विवरण–पत्र और सहायक चकबन्दी अधिकारी की आख्या बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के पास भेजेगा, जो विवरण–पत्र और आपत्तियाँ का परीक्षण करेगा और मालगुजारी के निर्धारण, प्रभाजन या परिवर्तन, जैसी भी दशा हों, के लिए आज्ञाऐं देगा।

(4) धारा 11 के अधीन दी गई आज्ञाओं के परिणाम स्वरूप यदि आवश्यक हो, तो इस नियम के अधीन मूल जोत चकबन्दी आकार पत्र तैयार किये जाने के पश्चात्, जोतों पर मालगुजारी में किये गये परिवर्तनों को दिखाने के लिये उपनियम (1) (2) ओर (3) के नियम रीति से अनुपूरक पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–7 तैयार किया जायेगा।

पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के भूमि के अधिकार एवं स्वत्त पर प्रभाव डालने संबंधी ब्यौरे अभिलिखित करना

25. (1) चकबन्दी लेखपाल द्वारा पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–11 में एवं पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर तैयार किया जाऐगा जिसमे धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी और धारा 9(क) की उपधारा (2) के अधीन चकबन्दी अधिकारी द्वारा दी गई भूमि में अधिकार एवं भूमि के सम्बन्ध में दायित्वों से सम्बद्ध सभी आज्ञायें तथा नियम 24 के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा दी गयी आज्ञायें भी समाविष्ट रहेगी। विभाजन एवं समेकन के मामले मे दी गयी आज्ञाओं के प्रवर्ती भागों के ब्यौरे रजिस्टर के समुचित स्तम्भ मे अभिलिखित किए जायेंगे। अभिलेखों की जांच सर्किल के चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जायेगी। अभिलेख की प्रविष्टियों की जाँच करने वाला अधिकारी, अपनी जाँच के प्रतीक स्वरूप उन पर आद्याक्षर करेगा। पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर पर चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। तत्पश्चात् यह धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन कटक में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–10 में हिन्दी में एक वर्णक्रम सूची, जिसमें खातेदारों की समस्त जोतों को एक ही स्थान पर दिखाया जायेगा, चकबन्दी लेखपाल द्वारा विभाजन एवं समेकन आज्ञाओं को, जैसा कि पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–11 मे दिखाया गया है, समाविष्ट करने के पश्चात् तैयार की जायेगी तथा सर्किल के चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उसकी जॉच की जाएगी। सर्किल के चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा सूची की प्रविष्टियों की जॉच की जायेगी। उन पर अपनी जॉच के प्रतीक स्वरूप आद्याक्षर किया जायेगा।

(3) वार्षिक रजिस्टर में सभी कटे हुए लेखों एव उपरिलेखों (Over Writing) पर उस व्यक्ति द्वारा जो लेखों को काटने या उपरिलेखन का उत्तरदायी हो तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा सदिनांक संक्षिप्त हस्ताक्षर किया जाऐगा उन्हें तब जोत चकबन्दी आकार पत्र–6ख अशुद्धि पत्र में दर्ज किया जायेगा, जिसे चकबन्दी लेखपाल तैयार करेगा। अशुद्धि पत्र पर चकबन्दीकर्ता एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी के द्वारा सदिनांक संक्षिप्त हस्ताक्षर किये जायेंगे।

धारा 12 के अधीन उठाये गये मामले में प्रकिया

26. धारा 12 के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी के समक्ष उठाये गए मामलों का निर्णय करने में नियम 20 से 23 तक में निर्धारित प्रकिया का अनुसरण किया जायेगा।

खातों का समामेलन

27. खातों के समामेलन (Amalgamation) करने के लिये प्रार्थना पत्र चकबन्दी अधिकारी को दिया जायेगा। जोतों के समामेलन को प्राधिकृत करने की सभी आज्ञायें पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–11 के पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर के उपर्युक्त स्तम्भ में दर्ज की जाऐगी।

भाग 4

प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार करना एवं परिवर्तन आदि

प्रारम्भिक चकबन्दी योजना का तैयार किया जाना

28. (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के सदस्यों से परामर्श करके तथा उतने खातेदारों से, जितने वह जमा कर सके, जॉच करके पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–14 में प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा तैयार की गई प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के साथ कटक के नक्शे की प्रतिलिपि भी संलग्न होगी, जिसमें खातेदारों को दिये गये गाटों एवं सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निमित्त निकाली गई भूमि का स्थान दिखाया जायेगा।

(3) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में जहाँ कहीं कटे हुए लेख एवं उपरिलेख हों, वहाँ पर वह व्यक्ति, जो उनके लिये उत्तरदायी हो, वह तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी भी सदिनांक संक्षिप्त हस्ताक्षर

करेंगे। प्रारम्भिक चकबन्दी योजना के सम्बन्ध में एक अशुद्वि पत्र आकार पत्र 6ख तैयार किया जायेगा।

भूमि पर लगान, भार आदि

29. प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में निम्नलिखित का भी स्पष्ट रूप से वर्णन किया जायेगा–

(1) खातेदारों के असामियों को प्रविष्ट की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल तथा उसके लिए देय लगान।

(2) किसी जोत का भार, भार की धनराशि, उस व्यक्ति का नाम, जिसके पक्ष में भार हो एवं भार का प्रकार तथा उसकी शर्तें।

(3) आबादी की भूमि या सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये काम में लाई जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल जिसको चकबन्दी की योजना में किसी जोत के साथ मिला देने का प्रस्ताव हो तथा जो सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये निर्मित किया गया हो।

चकों का एकीकरण तथा मूल्यांकन

30. पर्वतीय क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार करते समय सहायक चकबन्दी अधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी के लिये यह वैध होगा कि चकों को एकत्रित और अधिक संहत करने के लिये वह ग्राम समाज या बेनाप या नॉन. जेड. ए. या सार्वजनिक विभाग या स्थानीय प्राधिकरण में निहित किसी भूमि को उसका मूल्यांकन निर्धारित कर चकों में प्रदिष्ट कर सकेगा, किन्तु इस प्रकिया में यह ध्यान रखा जायेगा कि ग्राम समाज या राज्य सरकार, सार्वजनिक विभाग या स्थानीय प्राधिकरण को हानि न हो और उतने ही मूल्यों की भूमि उसे समान महत्व के स्थान पर प्राप्त हो सके।

आपसी सहमति से चकों का विनिमय

31. (1) यदि खातेदार आपस में सहमत हो तो बिना गाटों के विनिमय अनुपातदर (मूल्यांकन) निर्धारित किये हुये सहायक चकबन्दी अधिकारी केवल क्षेत्रफल के आधार पर दो खातेदारों के मध्य उनकी भूमि का विनिमय कर सकेगा। ऐसे विनिमय में आपसी सहमति के आधार पर मूल्यांकन भी होगा;

परन्तु यह कि ऐसे विनिमय के लिये बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होगा।

(2) प्रारम्भिक चकबन्दी योजना तैयार करते समय सहायक चकबन्दी अधिकारी कृषकों के भूमि को अधिक संहत एवं एकीकृत करने के उद्देश्य से चकबन्दी समिति के परामर्श एवं खातेदारों की सहमति से उनकी जोतों में स्थित पेडों एवं अन्य समुन्नितियों की बाजार मूल्य के सापेक्ष मूल्यांकन (प्रतिकर) निर्धारित करते हुये भूमि का कृषकों के मध्य विनिमय कर सकेगा।

भूमि के उद्धरण का प्रमाणीकरण

32. प्रत्येक खातेदारो के सम्बन्ध में और ऐसी भूमि के सम्बन्ध में जिसका स्वामित्व किसी ग्राम सभा या स्थानीय प्राधिकरण के पास है या जो उसमें निहित है, पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–16

में नोटिसों के साथ जोत चकबन्दी आकार पत्र–14 मे प्रारम्भिक चकबन्दी योजना से लिए गए संगत उद्धरण चकबन्दी लेखपाल द्वारा दो प्रतियों में तैयार किए जाएगें। चकबन्दीकर्ता द्वारा जाँच किए जाने के पश्चात् व सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाएगें। उद्धरण की एक प्रति खातेदार या भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष या स्थानीय प्राधिकारी पर, जैसी भी दशा में हो, कटक में प्रारम्भिक चकबन्दी योजना प्रकाशित किए जाने के पूर्व तामील की जाएगी। उद्धरण की कार्यालय प्रति सामान्य ग्राम पत्रावली में रखी जायेगी, जिसे यथोचित रूप से अनुक्रमित किया जाएगा।

आपत्तियों पर सुनवाई

33. (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी को प्राप्त होने वाली आपत्तियाँ उसके द्वारा नियम 32 में अधीन जारी किये गये जोत चकबन्दी आकार पत्र–14 में उद्धरण प्रति के साथ चकबन्दी अधिकारी को भेज दी जाएगी।

(2) ऐसे प्रत्येक मामले के लिये जिसमें अधिनियम की धारा 14 के अधीन आपत्तियाँ प्राप्त हो, पृथक पत्रावली तैयार की जाएगी। सभी आपत्तियाँ चकबन्दी अधिकारी के कार्यालय में एक मिसिलबन्द रजिस्टर में पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–6 में दर्ज की जाएगी।

(3) ऐसे आपत्तियों पर सम्यक् सुनवाई और यथावश्यक स्थल निरीक्षण के उपरान्त चकबन्दी अधिकारी आपत्तियों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकेगा, किन्तु यदि किसी आपत्ति को स्वीकार करने के फलस्वरूप चकबन्दी अधिकारी प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–14 में अंकन करायेगा और संशोधित उद्धरण बिना शुल्क के ही सम्बद्व खातेदार को उपलब्ध करायेगा।

(4) यदि धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन अपील पर निर्णय देते समय बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी प्रारम्भिक चकबन्दी योजना मे कोई परिवर्तन करें, तो वह तद्नुसार अभिलेखों में अंकन के उपरान्त सम्बद्ध खातेदार को पर्वतीय जोत चकबन्दी आकर पत्र–14 में पुनरीक्षित उद्धरण खातेदार को जारी करवायेगा।

(5) यदि धारा 33 के अधीन पुनरीक्षण पर निर्णय देते समय चकबन्दी संचालक प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में, जैसी कि वह धारा 16 के अधीन पुष्टिकृत हो, कोई परिवर्तन करें, तो वह सम्बद्ध खातेदार को पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–14 मे ऐसे परिवर्तनों का अंकन करायेगा तथा सम्बद्ध खातेदारों को एक पुनरीक्षित उद्धरण जारी कराएगा।

चकबन्दी योजना में परिवर्तन

34. (1) यदि धारा 15 के अधीन दी गयी आज्ञाओं के परिणामस्वरूप प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में ऐसे परिवर्तन करने पड़े, जिन्हें

वर्तमान विवरण में सुगमता से समाविष्ट करना सम्भव न हो, तो धारा 16 के अधीन उसकी पुष्टि और उसके प्रकाशित होने के पहले कटक के नक्शे की एक प्रति, जिसमें खातेदारों को प्रदिष्ट गाटों तथा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये अलग की गयी भूमि की स्थिति दिखाई गई हो, तैयार की जा सकती है।

(2) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी द्वारा पुष्टि किये गये एवं धारा 16 के अधीन प्रकाशित प्रारम्भिक चकबन्दी योजना में सभी कटे हुए लेखों और उपरिलेखों पर उस व्यक्ति द्वारा जिस पर लेख काटने और उपरिलेख का दायित्व होगा और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा सदिनांक संक्षिप्त हस्ताक्षर किए जायेंगे उन्हें जोत चकबन्दी आकार पत्र–6ख अशुद्धि पत्र में दर्ज किया जायेगा जिस पर चकबन्दीकर्ता एवं सहायक चकबन्दी अधिकारी के सदिनांक हस्ताक्षर करेंगे।

भाग 5
प्रकीर्ण

चकों की सीमा रेखा का निर्धारण

35. धारा 19 के अधीन चकबन्दी योजना लागू करने के लिये जो दिनांक निश्चित किया जायेगा, उसके पहले बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी अपना यह समाधान कर लेगा कि चकों की सीमा रेखायें अन्तिम चकबन्दी योजना के अनुसार उचित रूप से निर्धारित कर दी गयी है।

भूमि पर कब्जा दिलाने की प्रकिया

36. (1) खातेदारों या भूमि प्रबन्धक समितियों की, जैसी भी दशा हो, उन्हें प्रदिष्ट किए गये चकों या भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाने में सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा उसी प्रकिया का अनुसरण किया जायेगा, जो डिक्री के निष्पादन में अचल सम्पत्ति पर कब्जा दिलाने के लिये सिविल प्रकिया संहिता में नियत है।

(2) उस दशा में जब ऐसे चकों या भूमि या उसके भागों पर खड़ी फसल का देखभाल और उन्हें बटोरने का अधिकार उस व्यक्ति के पास रहे, जिससे कब्जा हस्तान्तरित किया गया हो, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी समिति के परामर्श से, भूमि का उपयोग करने के लिये पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–19 में प्रतिकर की धनराशि अवधारित करेगा तथा जो उस व्यक्ति को देय होगी, जिसे भूमि का कब्जा हस्तान्तरित किया जाए। वह दिनांक जब तक खड़ी फसल अवश्य काट ली जानी चाहिए तथा गाटा से हटा ली जानी चाहिए तथा अवधारित प्रतिकर का भुगतान कर देना चाहिये, सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा निश्चित किया जाएगा। पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–19 में उद्धरण सम्बद्ध खातेदारों पर तामील किए जायेंगे।

(3) कब्जा परिवर्तन की प्रकिया के दौरान चकबन्दी प्राधिकारी (Consolidation authority) को विवादों के निराकरण कराने के लिये मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होंगी।

अपील के निस्तारण के पश्चात प्रतिकर दिया जाना

37. (1) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत अपीलों पर निर्णय हो जाने के पश्चात्, सहायक चकबन्दी अधिकारी, पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–22 मे प्रतिकर के प्रदान के प्रमाण–पत्र प्रतिकर पाने वालो को जारी करेगा। वह भुगतान करने वाले व्यक्ति को भी पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–23 मे नोटिस जारी करेगा।

(2) जहां सहायक चकबन्दी अधिकारी यह निर्णय करे कि फसल पर कब्जा भी दिलाया जाए, तो वह चकबन्दी समिति के परामर्श से निम्नलिखित पर विचार करते हुए, फसल का मूल्य निर्धारण करेगा–

(क) फसल की दशा;

(ख) फसल की अनुमानित उपज;

(ग) उपज का ऐसा अनुमानित मूल्य, जिसके कटक में फसल काटने के समय मिलने की सम्भावना हो;

(घ) ऐसी धनराशि जिसके हस्तानान्तरण के दिनांक से फसल काटने के समय तक फसलों पर व्यय होने की सम्भावना हो;

(3) उप नियम (2) में उल्लिखित कनकूत (Appraisement) सभी सम्बंधित खातेदारों के सामने की जाएगी, जबकि वे ऐसी सामान्य सूचना पर भी, जो कटक में मुनादी/ध्वनि विस्तारक यन्त्र से दी जाएगी, उपस्थित न हुए हों।

(4) सहायक चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा से कूनकूत का परिणाम जोत चकबन्दी आकार पत्र–20 और 21 में प्रकाशित की जायेगी।

(5) उपनियम (3) के अधीन विवरण के अंतिम हो जाने की सूचना सहायक चकबन्दी अधिकारी, पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–22 मे प्रतिकर प्रदान करने का प्रमाण–पत्र प्रतिकर पाने वाले को देगा तथा पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–23 में उसकी सूचना प्रदाताओं को भी दी जायेगी।

प्रतिकर की वसूली

38. (1) प्रतिकर प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के किसी अन्य रीति से प्रतिकर वसूल करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम 37 के उपनियम (5) के अधीन प्रतिकर प्रदान किये जाने के लिये जारी किया गया प्रमाण–पत्र उसमे अभिलिखित दिनांक से दो वर्षों के भीतर मालगुजारी के बकाया के रुप में प्रतिकर की धनराशि की वसूली के लिये कलेक्टर को सम्बोधित एक प्रार्थना पत्र के साथ क्षेत्राधिकार रखने वाली तहसील को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) प्रतिकर प्रदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार यह सुनिश्चित करने के लिये प्रतिकर या उसका कोई भाग शेष है या नहीं, प्रारम्भिक जांच करेगा। तत्पश्चात् वह अपनी जाँच के परिणाम को कलेक्टर की आज्ञा के लिये प्रस्तुत करेगा।

(3) जब कलेक्टर का ऐसी अतिरिक्त जाँच के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझें, यह समाधान हो जाए कि प्रतिकर या उसके किसी भाग का, प्रतिकर प्रदान करने का प्रमाण–पत्र के अनुसार भुगतान नहीं किया गया है, तो वह प्रतिकर के शेष को मालगुजारी के बकाया के रुप में वसूल करने के लिये प्राधिकार देगा।

(4) प्रतिकर की वसूली के लिये किसी वाद या कार्यवाही में कलेक्टर को पक्षकार न बनाया जाएगा।

प्रतिकर का भुगतान

39. (1) कब्जा परिवर्तन के पश्चात् यथाशीघ्र, सहायक चकबन्दी अधिकारी पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–17 में बने प्रमाण–पत्र की बाहरी–पत्रक पेड़ों, सिंचाई के साधन, इमारतों तथा अन्य समुन्नितियों के लिये प्रतिकर पाने वालों को दिलवायेगा। प्रमाण–पत्र में प्रतिकर देने वाले का नाम, प्रतिकर की धनराशि एवं उस सम्पत्ति का, जिसके निमित्त प्रतिकर दिया जाएगा, विवरण होगा।

(2) पेड़, सिंचाई के साधन, इमारतों तथा अन्य समुन्नित के लिये प्रतिकर देने का नोटिस भी पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–17 में बने बाहरी पत्रक पर प्रत्येक प्रतिकर देने वाले को दिया जाएगा तथा उसमें पाने वाले का नाम, दिये गये प्रतिकर की धनराशि और उस सम्पत्ति का, जिसके लिए प्रतिकर दिया जाएगा, विवरण होगा।

(3) प्रमाण–पत्र एवं सूचनाओं का वितरण हो जाने के पश्चात् यथाशीघ्र पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–17 के भीतरी–पत्रक सम्बन्धित तहसीलदार को दे दिए जायेंगे।

(4) सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये भूमि का अंशदान करने के निमित्त खातेदारों को देय प्रतिकर की धनराशि जैसी कि वह पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–14 में अवधारित की गयी हो, कब्जा प्रदान करने के पश्चात् शीघ्र ही नियम 41 के अधीन तैयार किये गये पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–18 में मांग व वसूली की जमाबन्दी में अवधारित चकबन्दी के व्यय में संघानित कर दी जायेगी। ऐसी दशाओं में, जिनमें खातेदारों द्वारा चकबन्दी का कोई व्यय देय न हो अथवा प्रतिकर की धनराशि चकबन्दी व्यय से अधिक हो, सहायक चकबन्दी अधिकारी खातेदारों को प्रतिकर की धनराशि नकद देगा और पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–17क में भुगतान का अभिलेख रखेगा।

नोटिस की तामील

40. (1) किसी खातेदार या अन्य व्यक्ति को कोई लेख्य देने या उस पर किसी नोटिस या सम्मन की तामील करने के सम्बन्ध में देने या तामील करने वाला अधिकारी, यदि खातेदार या सम्बद्ध व्यक्ति देने या तामील के समय अपने निवास स्थान में उपस्थित न हो या यदि सभी प्रकार का यथोचित और उपयुक्त श्रम करने पर भी उसका

पता न लगाया जा सके या यदि वह देने या तामील करने पर लेख्य नोटिस या सम्मन लेने से इन्कार करे तो लेख्य, नोटिस या सम्मन को उस घर के, जिसमें वह सामान्यतया रहता हो, बाहरी द्वार पर या दूसरे किसी प्रमुख भाग पर चिपकाकर उसकी तामील करेगा, या देगा, किन्तु यदि कटक में उसका कोई ऐसा निवास स्थान नहीं है तो लेख्य, नोटिस या सम्मन की एक प्रति, उस भूमि के उस स्थान पर पार्श्व में स्थित किसी जनसमागम के स्थान पर जिसमें लेख्य, नोटिस अथवा सम्मन का सम्बन्ध हो, चिपकाकर उसकी तामील करेगा या देगा। प्रत्येक दशा में देने या तामील करने वाला अधिकारी, कटक के दो निवासियों से लेख्य, नोटिस या सम्मन का चिपकाया जाना प्रमाणित करा लेगा, परन्तु प्रतिकर के प्रमाण पत्रों की तामील, उनको चिपकाकर नहीं की जायेगी।

(2) चकबन्दी विभाग के सभी चकबन्दी लेखपाल, चपरासी (अनुसेवक), श्रंखलाधारी एवं विभाग का कोई अन्य कर्मचारी, जो विशेष आदेशिका जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाये, इन नियमों के प्रयोजनों के लिये तामील करने वाले अधिकारी होंगे।

जमाबन्दी तैयार किया जाना

41. (1) चकबन्दी कियाओं के व्यय के लिये जमाबन्दी जोत चकबन्दी आकार पत्र–18 में जमाबन्दी लेखपाल द्वारा तैयार की जायेगी।

(2) चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा गांव की जमाबन्दी की शत–प्रतिशत जाँच किये जाने और चकबन्दी अधिकारी द्वारा उसकी 20 प्रतिशत प्रविष्टियाँ भी जाँच किये जाने के पश्चात् तहसीलदार को, उसमें दिखाई गई धनराशियों को, मालगुजारी की बकाया के रुप में वसूल करने के लिये भेजी जायेगी।

(3) खातेदार पर निर्धारित व्यय उसके दो समान किश्तों में देय होगा।

(क) वसूल किये जाने के लिये पहली किश्त, माल गुजारी की उस पहली किश्त के साथ देय होगी, जो अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा प्रारम्भिक चकबन्दी योजना की पुष्टि किये जाने के पश्चात् देय होगी; और

(ख) वसूल किये जाने के लिये दूसरी किश्त मालगुजारी दिये जाने के बाद देय होगी।

बैठकों की कार्यवाही का रजिस्टर

42. चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दी समिति की बैठकों की कार्यवाही को दर्ज करने के निमित्त जोत चकबन्दी आकार पत्र–3 में कार्यवाही की एक पुस्तक रखेगा। इससे चकबन्दी की आम बैठक की कार्यवाहियों तथा खतौनी सत्यापन, सार्वजनिक प्रयोजन हेतु भूमि का निर्धारण, विनिमय अनुपालन, चक निर्माण, कब्जा परिवर्तन आदि

महत्वपूर्ण कार्यवाहियों का विवरण दर्ज किया जायेगा। जोत चकबन्दी आकार पत्र–9 में डायरी रखी जायेगी, जिसमें चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य का ब्यौरा दिया जायेगा।

अधिकारों का प्रयोग

43. धारा 29 के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाले अधिकारों का प्रयोग या कर्तव्यों का पालन उससे उच्चतर प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकेगा।

मामलों को मंगाया जाना

44. (1) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी किसी मामले को अपने अधीनस्थ किसी चकबन्दी अधिकारी या किसी सहायक चकबन्दी अधिकारी से अपने पास मंगा सकता है और उसे किसी ऐसे दूसरे चकबन्दी अधिकारी या सहायक चकबन्दी अधिकारी को निस्तारण के लिये अभिदिष्ट कर सकता है, जो उसके निस्तारण के लिये सक्षम हो।

(2) वह अधिकारी जिसके समक्ष अधिनियम या इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन अपील, पुनरीक्षण या निर्देश संस्थित किये जाये, अपने समक्ष संस्थित या विचारणीय किसी मामले को किसी अन्य अधिकारी को जिसे ऐसे मामले की सुनवाई करने और उस निर्णय देने का अधिकार हो, हस्तांतरित कर सकता है या किसी अन्य अधिकारी के समक्ष विचाराधीन किसी मामले को उस अधिकारी की पत्रावली से अपनी पत्रावली में वापस मांग सकता है। किसी ऐसे जिले का, जहाँ कोई संयुक्त/उप/ सहायक, संचालक चकबन्दी नियुक्त हो, जिला उप संचालक चकबन्दी किसी पुनरीक्षण या मामले के अभिलेख को, जो ऐसे अधिकारी के समक्ष निस्तारण के विचाराधीन हो, मंगा सकता है और उसे ऐसे अधिकारी को हस्तांतरित कर सकता है, यदि वह किसी कारणवश उसे निर्णय करने मे असमर्थ हो।

(3) चकबन्दी संचालक किसी मामले को किसी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी से अपने पास मंगा सकता है और उसे किसी दूसरे बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को निस्तारण के लिये अभिदिष्ट कर सकता है।

(4) चकबन्दी संचालक किसी मामले को जिला उप संचालक चकबन्दी या उप संचालक चकबन्दी से अपने पास मंगा सकता है और उसका स्वयं निस्तारण कर सकता है या किसी अन्य जनपद के जिला उप संचालक चकबन्दी या उप संचालक चकबन्दी को निस्तारण हेतु अभिदिष्ट कर सकता है।

उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1901 का नक्शा, खसरा आदि में लागू न होना

45. उ0प्र0 भू–राजस्व अधिनियम 1901, तद्नुसार उत्तराखण्ड में उपान्तरित अधिनियम के अध्याय–4 के निर्देश और उसके अधीन बनाये गये नियम, जहाँ तक वे इन नियमों से असंगत हो या उनके अन्तर्गत न आते हों, अधिनियम की धारा 18 के अधीन गाँव का नया नक्शा, खसरा और अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिये लागू न होंगे।

नक्शा, खसरा आदि तैयार करना

46. (1) यदि ग्राम का कोई क्षेत्र किसी दूसरे ग्राम की सीमा के भीतर स्थित हो, तो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (25) या तद्विषयक उत्तराखण्ड में अन्तरण व संशोधनों के अनुसार, के अधीन सरकार की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् यदि वह पहले ही प्राप्त न कर ली गयी हो, उक्त क्षेत्र को दूसरे ग्राम में मिलाने के लिये कार्यवाही करेगा।

(2) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (25) या तद्विषयक उत्तराखण्ड के अन्तरण व संशोधन के अधीन क्षेत्रों को, जो अब तक एक से अधिक ग्रामों के अर्न्तगत थे, कोई अन्य ग्राम बनाने के लिये सम्मिलित किया गया हो या किसी ग्राम के एक भाग को एक अलग ग्राम के रुप में संगठित किया गया हो, तो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में ग्राम का एक ही नक्शा, खसरा एवं अधिकार अभिलेख तैयार कराएगा।

नगरीय क्षेत्र तथा ग्राम क्षेत्र का पृथक–पृथक अभिलेख तैयार करना

47. (1) जहाँ ग्राम का भाग नगर क्षेत्र का भाग बनता है, और यह निश्चय किया गया है कि ग्राम के उस भाग को चकबन्दी योजना मे लिया जाए जो नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित नही है, तो अलग–अलग ग्राम का नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा, एक चकबन्दी क्षेत्र का और दूसरा ग्राम के नगर क्षेत्र का।

(2) नगर क्षेत्र में सम्मिलित अभिलेख अन्तिम और निश्चायक न होगा और उस क्षेत्र की सुलभ अन्तिम अधिकार–अभिलेख की प्रविष्टियों पर आधारित होगा।

(3) ऐसे नगर क्षेत्र का अभिलेख तैयार करने मे पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र 24 (तुलनात्मक खसरा) तथा पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–25 खतौनी व सजरे, दो प्रतियों को तैयार की जायेगी।

सीमा स्तम्भ लगाया जाना व चिन्हों की जांच

48. (1) यदि चकबन्दी कियाओं के दौरान में उस क्षेत्र के लिये जो अब तक एक से अधिक ग्राम के अन्तर्गत था, अभिलेखो का एक ही सेट तैयार किया जाना हो, तो विभिन्न ग्रामों के गाटो का भेद हिन्दी के उपयुक्त वर्ण लगाकर व्यक्त किया जाएगा।

(2) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी अंतिम चकबन्दी योजना प्रवृत्त होने के पश्चात् किन्तु धारा 37 के अधीन अधिसूचना जारी होने से पूर्व सभी चकदारों तथा सार्वजनिक प्रयोजन के लिये सुरक्षित भूमि की सीमायें निर्धारित करने के लिये सीमा स्तम्भ ग्राम चकबन्दी समिति और खातेदारों की सहमति के अनुसार उनके व्यय पर लगवायेगा।

(3) लेखपाल नक्शें में दिखाये हुए प्रचलित चिन्हों की जाँच भी करेगा तथा ऐसे सभी चिन्हो के सम्बन्ध में जो इस नियमावली के संलग्न परिशिष्ट मे निहित किए गए हैं, आवश्यक संशोधन करेगा।

गाटों की परिगणना तथा नक्शा बनाना

49. (1) उपर्युक्त नियमों के उपबन्धों के अनुसार नक्शे को अद्यावधिक कर लेने के पश्चात् उसके आधार पर गाटों की पुनः परिगणना की जाएगी। प्रत्येक चक की एक कम–संख्या होगी, यदि वह प्राकृतिक या भौतिक अवरोध द्वारा भागों में न बाँट दिया गया हो और ऐसी दशा में प्रत्येक भाग की अलग से परिगणना की जायेगी।

(2) उपनियम (3) में की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुए, गाटों की पुनः परिगणना पूरे राजस्व ग्राम के लिये एक कम से की जाएगी। यह ग्राम के उत्तर–पश्चिम के कोने से आरम्भ होगी और दक्षिण–पूर्व के कोने में समाप्त की जाएगी। पुनः परिगणना करने में कुदान न किये जाने चाहिए, किन्तु यदि कोई कुदान हुए हो, तो नक्शे के पार्श्व में उनके सम्बन्ध में एक टिप्पणी दी जाएगी।

(3) जहाँ चकबन्दी क्षेत्र गांव का केवल एक भाग हो, तो इसकी पुनः परिगणना दूसरे भाग से जिसमें गैर–चकबन्दी क्षेत्र हो, अलग की जाएगी। गैर चकबन्दी क्षेत्र के सम्बन्ध में स्थिति की सूचना सचिव, राजस्व परिषद् की ऐसी कार्यवाही के लिये, जो वह आवश्यक समझे, दी जाएगी।

(4) जहाँ नगर क्षेत्र से भिन्न कोई ऐसा अन्य क्षेत्र जिस पर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम लागू न होता हो, चकबन्दी अधीन ग्राम में स्थित हो, तो पुनः परिगणना पूरे राजस्व ग्राम में एक कम से की जायेगी।

(5) चकबन्दी लेखपाल द्वारा किए गए कार्य की शत–प्रतिशत चकबन्दीकर्ता और 25 प्रतिशत सहायक चकबन्दी अधिकारी जाँच करेगा। चकबन्दी अधिकारी भी अपना यह समाधान करने के लिये कार्य ठीक–ठीक .किया गया है, उसकी जाँच करेगा।

(6) तत्पश्चात् चकबन्दीकर्ता अन्तिम नक्शा तैयार कराएगा, जिसमें केवल नई संख्यायें, उनकी सीमायें पहले जहाँ आवश्यक हो, प्रचलित चिन्ह दिए रहेंगे। इसकी जाँच चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी और बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पूर्व की जाएगी, जिसके पदनाम का उल्लेख उसके हस्ताक्षर के नीचे किया जाएगा, इस प्रकार तैयार किए गए अन्तिम नक्शे की प्रतियाँ उतारे जाने के पश्चात्, वह प्रेस की प्रतिकृति करने के लिये भेजा जाएगा, जहां ऐसी प्रतिकृति उपबंधों के दृष्टिगत आवश्यक हो। प्रेस से प्राप्त होने पर अन्तिम नक्शा कलेक्टर के अभिलेख कक्ष के लिये अभिप्रेत अभिलेखागार संग्रह में रखा जाएगा।

(7) अन्तिम नक्शे की दो प्रतियाँ उतारी जाएगी। इन प्रतियों में नये गाटों के भीतर विद्यमान पुराने गाटों की सीमायें बिन्दु–रेखाओं से

दिखाई जाएगी, जिनमें पुराने गाटों की सीमायें नही दी जाऐगी। इन नक्शों में वर्तमान मिट्टी के वर्गों को भी मोटी लाल रेखाओं से चिन्हांकित किया जायेगा। विभिन्न मिट्टी के वर्गों को उपयुक्त अल्पाक्षरों द्वारा वर्णित किया जायेगा तथा प्रत्येक प्रकार की मिट्टी पर लाल स्याही से मोटे अक्षरो में लिखा जाएगा। इस प्रकार उतारी गयी प्रतियों की जाँच बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा जाँच और हस्ताक्षर किये जाने के पूर्व चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी और चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इन नक्शों की एक–एक प्रति दोनो वर्णिज जिल्दों में रखी जाएगी।

चकबन्दी लेखपाल द्वारा तुलनात्मक खसरा तैयार किया जाना

50. (1) चकबन्दीकर्ता तथा सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा पुनः परिगणन एवं जाँच समाप्त हो जाने के पश्चात् लेखपाल जोत चकबन्दी आकार पत्र–24 में नई संख्याओं के अनुकम मे तुलनात्मक खसरा (खसरा मुताबिकत) दो प्रतियों में तैयार करेंगे, जिसमें भूमि श्रेणियों के भी ब्यौरे होंगे।

(2) चकबन्दी लेखपाल तैयार किए गए खसरा मुताबिकत एवं धारा 18 में उल्लिखित अन्य संगत अभिलेखों की सहायता से जोत चकबन्दी आकार पत्र–25 मे दी गयी दो प्रतियों मे खतौनी तैयार करेगा।

(3) चकबन्दी लेखपाल द्वारा तैयार किए गए खसरा मुताबिकत एवं पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–24 व 25 में खतौनी की चकबन्दीकर्ता द्वारा जाँच शत–प्रतिशत की जाऐगी। इन अभिलेखों में से 25 प्रतिशत प्रविष्टियों की सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा एवं 5 प्रतिशत की चकबन्दी अधिकारी द्वारा जाँच की जायेगी। तत्पश्चात् पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–25 में खतौनी ग्राम में प्रकाशित की जाएगी।

(4) खतौनी के तैयार हो जाने के पश्चात् तुलनात्मक खसरे (खसरा मुताबिकत) के स्तम्भ 5 मे नई खाता संख्यायें लिखी जायेंगी।

(5) खसरा मुताबिकत तथा खतौनी के सभी कटे हुए लेखों या उपरिलेखों पर उस व्यक्ति द्वारा जो उन्हें काटने एवं उपरिलेख के लिये उत्तरदायी हो, तो सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा भी हस्ताक्षर किए जायेंगे। कहीं पर कोई लेख मिटाया नहीं जायेगा। उपरलिखित प्रत्येक अभिलेख के सम्बन्ध में एक अशुद्धि पत्र–6 ख तैयार किया जायेगा और चकबन्दीकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जायेगा। इस पर सहायक चकबन्दी अधिकारी भी हस्ताक्षर करेगा। ऐसी सूची पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात् अभिलेखों की प्रत्येक प्रति के साथ जिल्द में नत्थी की जाएगी।

धारा 37 के अधीन अधिसूचना

51. चकबन्दी ग्रन्थ संग्रह में ग्राम के अन्तिम नक्शे के साथ खसरा मुताबिकत आकार पत्र–24 एवं जोत चकबन्दी आकार पत्र–25 में

खतौनी होगी, ऐसे दो संग्रह तैयार किए जायेंगे। उनमें से एक कलेक्टर के अभिलेख कक्ष में भेजा जाएगा तथा दूसरा लेखपाल को देने के लिये तहसीलदार को दिया जायेगा। तत्पश्चात् चकबन्दी संचालक धारा 37 के अधीन गाँव को अधिसूचित करने की कार्यवाही करेगा।

संयुक्त चकबन्दी की स्थिति में चकबन्दी आकार पत्र–1 में विवरण पत्र तैयार किया जाना

52. (1) यदि किसी ऐसे क्षेत्र के लिये जिसमें एक से अधिक गाँव सम्मिलित हों, संयुक्त चकबन्दी तैयार की गई हो, सहायक चकबन्दी अधिकारी जोत चकबन्दी आकार पत्र–1 में एक विवरण पत्र तैयार करायेगा जो निम्न प्रकार से होगा–

(क) प्रत्येक ऐसे ग्राम में प्रत्येक भौमिक अधिकार के वर्ग के अन्तर्गत किसी खातेदार से सम्बन्धित मालगुजारी तथा मूल्यांकन;

(ख) प्रत्येक ऐसे ग्राम में प्रत्येक भौमिक अधिकार के वर्ग के अन्तर्गत ऐसे खातेदार के लिये प्रदिष्ट किया गया मूल्याकंन;

(2) उक्त विवरण पत्र की शत–प्रतिशत जाँच चकबन्दीकर्ता द्वारा, 20 प्रतिशत जाँच सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा तथा 5 प्रतिशत जाँच चकबन्दी अधिकारी द्वारा की जायेगी। इसके पश्चात् इसे ग्राम में प्रकाशित किया जायेगा। यदि कोई सम्बद्ध व्यक्ति उसके किसी इन्द्राज पर प्रकाशन की दिनांक से 15 दिनों के भीतर आपत्ति करे तो बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा विवरण पत्र की पुष्टि को बाधित न करते हुये सहायक चकबन्दी अधिकारी उसकी सुनवाई और अन्तिम रूप से उसका निर्णय करेगा।

(3) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा इस विवरण पत्र की पुष्टि होने पर यथाशीघ्र प्रत्येक ऐसे गाँव के लिये नियम 50(2) के अनुसार खतौनी में तद्नुसार इन्द्राज किये जायेंगे।

मुकदमों का निस्तारण

53. राज्य सरकार ऐसी रीति अवधारित करेगी जिसके अनुसार अधिनियम के अधीन किये गये सभी मुकदमों में कार्यवाहियों के अभिलेख का निस्तारण किया जायेगा।

अभिलेखों के लिए शुल्क

54. (1) आधार वर्ष के अभिलेखों और चकबन्दी प्रकियान्तर्गत तैयार अन्य अभिलेखों के उद्धरण चकबन्दी लेखपाल द्वारा जारी किये जायेंगे। ऐसे उद्धरणों को जारी करने के लिये उसे वही पारिश्रमिक मिलेगा जो लैण्ड रिकार्डस मैनुअल में नियत है।

(2) सिद्धान्तों के विवरण पत्र की प्रति के लिये सहायक चकबन्दी अधिकारी को आवेदन पत्र दिया जायेगा। साथ में प्रत्येक प्रति के लिये निर्धारित स्टाम्प देय होगा।

(3) विभिन्न चकबन्दी न्यायालयों द्वारा प्रतिलिपियों के लिये प्रार्थना पत्र सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को दिये

जायेंगे तथा इस सम्बन्ध में मैनुअल आफ आर्डर के अनुसार नियत शुल्क देय होगा।

खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गयी चकबंदी योजना में प्रकिया

55. किसी ग्राम के सम्बन्ध में ग्राम के खातेदारों द्वारा स्वेच्छा से तैयार की गई चकबन्दी योजना पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–14 व 15 चकबन्दी उपसंचालक को विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी और उसके साथ खसरें तथा ग्राम के रजिस्टर जिस पर वह आधारित हो, प्रतियां और ग्राम के नक्शे की एक प्रति भी रहेगी। जिसमें चकबन्दी योजना में समाविष्ट प्रस्ताव के ब्योरे दिये होंगे।

कब्जे के लिए आज्ञाएं एवं अपील

56. धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत आने वाले ऐसे मामलों में दी गयी आज्ञायें धारा 28 के अधीन चकबन्दी प्राधिकारियों (Consolidation Authorities) द्वारा कार्यान्वित की जायेगी। ऐसे प्राधिकारी के न होने के दशा में परगने के प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सुपर वाईजर कानूनगो तथा मामलों से सम्बद्ध क्षेत्र का लेखपाल उपयुक्त आज्ञाओं को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिये क्रमशः बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्ता तथा चकबन्दी लेखपाल के कृत्यों का निर्वहन तथा कर्तव्य का पालन करेगें।

(2) यदि उपनियम (1) में अभिदिष्ट किसी आज्ञा को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु प्रभावित चकों का पुनः प्रदेशन करना आवश्यक हो जायें तो चकबन्दी अधिकारी या तहसीलदार जैसी भी दशा हो, सम्बन्ध पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् आवश्यक आज्ञायें दे सकते है।

(3) चकबन्दी अधिकारी या तहसीलदार जैसी भी दशा हो, की आज्ञा से क्षुब्ध व्यक्ति उपनियम (2) के अधीन दी गयी आज्ञा के दिनांक से 21 दिवस के भीतर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी या परगने के प्रभारी असिस्टेंट कलेक्टर, जैसी भी दशा हो, के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, जो सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् अपील पर निर्णय देगा, जो अन्तिम होगा।

(4) यदि उपनियम (2) या (3) के अधीन दी गयी आज्ञाओं के परिणाम स्वरूप कब्जा देना आवश्यक हो जाये तो नियम 36 व 37 (2) के उपबन्ध के अनुसार आवश्यक परिर्वतन लागू होंगे।

वादों का समेकन

57. (1) एक से अधिक वाद या कार्यवाहियाँ जिनमें अवधारण के लिये सारतः एक समान प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो और जो एक समान वाद हेतुक (Cause of action) पर आधारित हो, दो या अधिक चकबन्दी प्राधिकारियों (Consolidation Authorities) के समक्ष विचाराधीन हों, तो वे किसी एक पक्ष द्वारा उस प्राधिकारी को, जिसके अधीनस्थ व सभी प्राधिकारी हो, जिनके समक्ष वाद या कार्यवाहियाँ विचाराधीन

हो, प्रार्थनापत्र देने पर या स्वतः एक प्राधिकारी के समक्ष समेकित कर दिये जायेंगे और उन्हें एकल निर्णय द्वारा निर्णीत किया जायेगा।

(2) चकबन्दी प्राधिकारी (Consolidation Authorities) अपने समक्ष विचाराधीन वादों या कार्यवाहियों को स्वयं समेकित कर सकता है। यदि उन कारणों से जो अभिलिखित किये जाये या उनका समाधान हो जाये, कि वादों या कार्यवाहियों के उचित और शीघ्र निस्तारण के लिये ऐसा करना आवश्यक है और इससे वाद या कार्यवाही के किसी पक्ष के हित पर प्रतिकूल प्रभाव न पडेगा।

(3) अधिनियम की धारा 33 के अधीन आवेदन पत्र आवेदनकर्ता या उसके यथाविधि प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा सम्बद्ध जिले या बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी कटक के लिये चकबन्दी संचालक, उत्तराखण्ड द्वारा नाम निर्दिष्ट संयुक्त उप सहायक संचालक, चकबन्दी को या जिले में किसी ऐसे संयुक्त, उप सहायक संचालक, चकबन्दी की नियुक्ति न होने पर जिला उप संचालक, चकबन्दी की उस आज्ञा के, जिसके विरुद्ध आवेदन पत्र निदेशित हो, 45 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जायेगा, जिसके साथ निर्णय या उस आज्ञा की प्रति होगी, जिसके सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाय। विवाद के सम्बन्ध में अन्य अधीनस्थ प्राधिकारियों के निर्णय या आज्ञा की प्रतियां भी, यदि कोई हों, आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

अधिनियम की धारा 37(क) के अनुसार योजना का प्रारूप

58. (1) सहायक चकबन्दी अधिकारी चालू खसरा, खतौनी तथा नक्शों में प्रविष्टियों के आधार पर अधिनियम की धारा 37(क) में उल्लिखित योजना का प्रारुप तैयार करेगा।

(2) यदि उपनियम (1) में उल्लिखित अभिलेख की किसी प्रविष्टि में किसी विधि के अधीन दिये गये आदेश के अनुसरण में परिष्कार किया जाये तो सहायक चकबन्दी अधिकारी उक्त प्रविष्टि के सामने आदेश सम्बन्धी निर्देश तथा उसके प्रवर्ती भाग को लिखेगा।

भूमि की उत्पादकता, मिट्टी आदि के आधार पर विनिमय हेतु गाटों का भौतिक सत्यापन

59. (1) यदि चकमार्गों या चक गूलों की व्यवस्था करने के लिये चकों का पुनर्व्यवस्थापन करना आवश्यक हो जाये तो सहायक चकबन्दी अधिकारी, ग्राम सभा में निहित किसी जोत या भूमि के ऐसे गाटों या गाटों के भागों, जिन पर ऐसे पुनर्व्यवस्थापन से प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो, का विनिमय अनुपात गाटा या गाटों की उत्पादकता, स्थिति एवं वर्तमान मिट्टी के वर्ग को सुनिश्चित करके तथा ग्राम के उतने खातेदारों के साथ, जितने वह एकत्र कर सके स्थल पर जा कर सत्यापन अवधारित करेगा। इस प्रकार अवधारित किये गये विनिमय अनुपात पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–15क और आकार पत्र–15ख में उल्लिखित किया जायेगा।

(2) नियम 58 में अभिदिष्ट योजना का प्रारुप पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–15क और आकार पत्र–15ख में तैयार किया जायेगा ।

(3) इस प्रकार तैयार चकबन्दी योजना के प्रारुप ग्राम में प्रकाशित किये जायेंगे तथा योजना के प्रारुप की संगत उद्धरण, यथास्थिति, सम्बद्ध खातेदारों या भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को जारी किये जायेंगे।

(4) धारा 37(क) की उपधारा 8 के अधीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा योजना के पुष्टि किये जाने के पश्चात् कटक में प्रकाशित की जायेगी और प्रदेशन आदेश जोत चकबन्दी आकार पत्र 15 क यथास्थिति खातेदारों या भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष को जारी किये जायेंगे।

(5) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा धारा 37(क) की उपधारा 8 के अधीन पुष्टिकृत योजना को लेखपाल द्वारा नियम 58 के उपनियम (2) में बताई गयी रीति के अनुसार चालू नक्शे और अभिलखों में प्रभावी किया जायेगा। चकबन्दीकर्ता और सहायक चकबन्दी अधिकारी लेखपाल द्वारा की गई प्रविष्टियों की जाँच करेगा तथा उस पर सदिनांक हस्ताक्षर करेगा।

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–1
ग्राम तथा ग्रामों के भाग, जिनके लिए चकबन्दी की एक संयुक्त योजना तैयार करना है।

उत्तराखण्ड़ पर्वतीय चकबन्दी अधिनियम, सेप्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके, एतद्द्वारा विज्ञापित किया जाता है कि चकबन्दी संचालक ने, ... से निम्नलिखित विवरण के स्तम्भ 3 में उल्लिखित ग्रामों के साथ स्तम्भ–2 में उल्लिखित ग्राम के भाग के सम्बन्ध में चकबन्दी की संयुक्त योजना बनाने का निश्चय किया है–

क्रम संख्या	ग्राम, जिनकी चकबन्दी की योजना स्तम्भ 3 में दिखाए गए ग्राम और ग्रामों के भागों के साथ संयुक्त होगी	ग्राम या ग्रामों के भागों के नाम, जिनकी चकबन्दी की योजना स्तम्भ 2 में दिखाए गए ग्राम के साथ संयुक्त होगी	जिले का नाम	तहसील का नाम	पट्टी का नाम	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

चकबन्दी संचालक

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार–पत्र–2
(प्रारम्भिक खसरा चकबन्दी)

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

गाटा संख्या	क्षेत्रफल			आधार वर्ष के खाता खतौनी की संख्या/ जोत चकबन्दी आकार–पत्र 11 में लाल स्याही से पुनरीक्षित वार्षिक खतौनी की संख्या	खातेदार का नाम और पता और भौमिक अधिकार का प्रकार, जो खाते में पहले गाटे के सामने हो	असामी का नाम, यदि कोई हो, और उसका पता (आधार खसरे का स्तम्भ 5)	कब्जा रखने वाले व्यक्ति का नाम, यदि कोई हो जो आधार खाते के विशेष विवरण के स्तम्भ में दिखाया गया हो	कब्जे के विवादो के विवरण तथा कब्जे की अवधि, जिसका दावा किया जाए और उसका आधार
	जैसा कि आधार खसरा के स्तम्भ 2 में अभिलिखित है	जैसा कि चालू बन्दोबस्त में अभिलिखित है	जैसा स्थल पर पाया जाए					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

समुन्नतियों के विवरण, यदि कोई हो, जैसे कुआँ, नलकूप आदि, जो गाटे में स्थित हों या बाग से भिन्न पेड़ जो गाटे या उसकी सीमाओं में स्थित हों				उस वर्ष के, जिसमें धारा 3 के अधीन विज्ञप्ति जारी की गयी थी, ठीक पूर्व के कृषि वर्ष में विद्यमान बागों का विवरण			अकृषिक क्षेत्रफल का विवरण		सिंचाई का विवरण	
विवरण	नाम और कितना पुराना है	अनुमानित	स्वामी का नाम उसका पता और सम्पत्ति में अंश	प्रकार	क्षेत्रफल	प्रकार	जोत में सम्मिलित	जोत में असम्मिलित	सिंचाई का साधन और रीति	सिंचाई योग्य क्षेत्रफल
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार–पत्र–2 (लगातार)

सामान्तया बोई जाने वाली फसलें			गाटों की प्राकृतिक रूपरेखा, जिसमें विशेष रूप में अकृष्य भाग का क्षेत्रफल, यदि उसकी पृथक् पैमाइस न हुई हो, आस–पास के गाटों की तुलना में उसका तल, यदि गाटा सिंचाई योग्य हो, सिंचाई के साधन से उसकी दूसरी और जल सम्भरण की मात्रा	भूमि का वर्ग जैसा कि चालू बन्दोबस्त में अभिलिखित है	क्षेत्रफल		चकबन्दी योग्य क्षेत्र का पैसों में (शब्दों मे) विनिमय अनुपात	गाटे के चकबन्दी योग्य क्षेत्र का मूल्यांकन स्तम्भ 27× स्तम्भ 28	वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा यथापरिष्कृत विनिमय अनुपात और विवरण तथा वाद का विवरण, आज्ञा की संख्या और दिनांक
खरीफ	रबी	जायद			जो चकबन्दी योग्य न हो	चकबन्दी योग्य			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा यथापरिष्कृत मूल्यांकन (स्तम्भ 27–स्तम्भ 30)	सहायक चकबन्दी अधिकारी द्वारा यथापरिष्कृत (चक में गाटे के प्रदिष्टिकरण का विवरण)	चकबन्दी अधिकारी द्वारा यथापरिष्कृत (चक में गाटे के प्रदिष्टिकरण का विवरण)	बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा अपील और पुनरीक्षण में यथापरिष्कृत (चक में गाटे के प्रदिष्टिकरण का विवरण)	विशेष विवरण
31	32	33	34	35

चकबन्दी लेखपाल.....

चकबन्दीकर्ता.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–3
कार्यवाही की पुस्तक

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

दिनांक	चकबन्दी समिति के उपस्थित सदस्यों के नाम	कार्यवाही का विवरण	सदस्यों के हस्ताक्षर
1	2	3	4

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–4
भौमिक अभिलेखों में अशुद्धियों और विवादों की सूची

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

आधार वर्ष के खाता खतौनी की संख्या	गाटा सख्यायें, यदि अशुद्धियों और विवाद पूरे खाते से सम्बन्धित नहीं है	स्तम्भ 2 में अभिलिखित गाटों का क्षेत्रफल	खतौनी और खातेदार परीक्षण और सत्यापन के समय पायी गयी अशुद्धियों और विवादों का विवरण		प्रत्येक सह–खातेदार द्वारा जोत में अभ्यर्पित अंशों का विवरण	भाग 1 में लिपिक अशुद्धियों के मामले में सहायक चकबन्दी अधिकारी की आज्ञा	विशेष विवरण
			क्रम–संख्या	विवरण			
1	2	3	4	5	6	7	8

चकबन्दी कर्ता.....

सहायक चकबन्दी अधिकारी

क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार–पत्र–5क

चालू वार्षिक रजिस्टर से उद्धरण सहित नोटिस, जिसमें संयुक्त जोतों में सह–खातेदारों के अंशों, गाटों, गाटों पर स्थित पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन दिखाए गए हों तथा अशुद्धियों और विवादों के यदि कोई हों, विवरण

श्री.....पितृ नाम.....

निवास स्थान.....

आपके/आपकी विभाग की समस्त जोतों के सम्बन्ध में ग्राम.....पट्टी.....

परगना.....तहसील.....जिला.....के वर्ष.....

फसली के लिए खतौनी से उद्धरण नीचे दिया जाता है। स्तम्भ 19 में अभिलेखों की जॉच के समय पायी गयी अशुद्धियों और विवादों का विवरण है।

संयुक्त जोतों में विभिन्न सह–खातेदारों के कथित अंश विभाजन करने के लिए स्तम्भ 1 में सम्बद्ध खातेदारों के नाम के सामने दिए गये है। गाटों, पेडों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों का मूल्योंकन भी नीचे दिया गया है। आपको सूचित किया जाता है कि–

(क) भूमि के सम्बन्ध में अधिकारी और दायित्व तथा संयुक्त जोतों में व्यक्तिगत खातेदारों के अंशों की विशिष्टियॉ और प्रस्तावित विभाजन के सम्बन्ध में अन्य सजातीय मामले, और

(ख) गाटों, पेड़ों, कुओं तथा समुन्नतियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में समस्त विवाद और आपत्तियॉ, यदि कोई हों, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात् निर्णय करने का प्रस्ताव है।

यदि आपको इस उद्धरण में किसी प्रविष्टि के प्राकर या उसकी किसी शुद्धता के विरूद्ध या विभाजन का आवश्यकता के विरूद्ध कोई आपत्ति करनी हो तो यह इस नोटिस के प्राप्त हाने के दिनो से इक्कीस दिन के भीतर ऊपर निर्दिश्ट दोनों प्रकार की प्रत्येक श्रेणियों के लिए पृथक–पृथक प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि नियम समय के भीतर कोई आपत्ति नही है और विधि के अनुसार आदेश दे दिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर से और मेरे कार्यकाल की मुहर से आज दिनांक .....20.....को दिया।

कार्यालय की मुहर

सहायक चकबन्दी अधिकारी

क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–5क (लगातार)
(उद्धरण)

चालू वार्षिक रजिस्टर की खाता संख्या	खातेदार का नाम, पिता कानाम और निवासी स्थान और संयुक्त जोतो की दशा में उसका अंश	खाता का वर्ग	खाता प्रारम्भ होने का वर्ष	गाटा संख्या	कुल योग	क्षेत्रफल		स्तम्भ 8 में दिखाए गए चकबन्दी योग्य क्षेत्रों का पैसो में (शब्दों में) विनिमय अनुपात
						चकबन्दी अयोग्य	चकबन्दी योग्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

चकबन्दी योग्य क्षेत्रफल का पैसों में मूल्यांकन	समुन्नतियों का, यदि कोई हों, विवरण, जैसे गाटें में विद्यमान कुओं, नलकूप आदि या पेड़, जो गाटे या उसकी सीमाओं में स्थित बाग से भिन्न हों				खातेदार द्वारा देय मालगुजारी
	विवरण	पैमाइश और कितने पुराने हैं	अनुमानित मूल्य	स्वामी का नाम, उसका पता और उसका सम्पत्ति में अंश	
10	11	12	13	14	15

आसामी का विवरण, यदि कोई हों			जोत चकबन्दी आकार–पत्र 3 में अभिलिखित अशुद्धियों और विवादों तथा अंश के विवरण	विशेष विवरण
नाम, पिताका नाम और निवास स्थान	खाता प्रारम्भ होने का वर्ष	देय लगान		
16	17	18	19	20

चकबन्दीलेखपाल

चकबन्दीकर्ता

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–5ख
(नोटिस)

पुस्तक–संख्या..... क्रम संख्या.....

आपको सूचित किया है कि ग्राम .....पट्टी.....परगना.....
तहसील.....जिला.....के भू–अभिलेखों की जॉच के समय
यह कहा गया है कि स्तम्भ 4 में दिखाए गए खातेदार की जोत में अभिलिखित निम्नलिखित गाटा/गाटे आपके कब्जे में है। व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम, यदि किसी का आपके साथ भूमि पर कब्जा कहा गया है, प्रत्यके के अंश, गाटों के पेड़ों, कुओं या अन्य समुन्नतियों का मूल्यांकन, जैसा स्थल पर सुनिश्चित किया गया है, नीचे दिए गए है।
आपको यह भी सूचित किया जाता है कि भूमि के सम्बन्ध में अधिकारा और दायित्व और यदि आपका अन्य के साथ पूर्णया आंशिक रूप से, पृथक या संयुकत खातेदार का अधिकार पाया जाए, तो–

(क) भूमि के सम्बन्ध में अधिकारा और दायित्व, जिसके साथ संयुक्त जोतों में व्यक्तिगत खातेदारों के अंशों की विशिष्टियों और प्रस्तावित विभाजन के सम्बन्ध में अन्य सजातीय मामले, और

(ख) गाटों, पेड़ों, कुओं तथा अन्य समुन्नतियों के मूल्यांकन के सम्बन्ध में विवाद/विवादों और आपत्ति/आपत्तियो, यदि कोई हों, सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई के पश्चात् निर्णय करने का प्रस्ताव है।

यदि आपको इस उद्धरण में किसी प्रविष्टि के प्रकार या शुद्धता के बारे में या विभाजन की आवश्यकता के विरूद्ध कुछ कहना हो तो यह इस नोटिस के प्राप्त होने के दिनांक से इक्कीस दिन के भीतर ऊपर निर्दिष्ट दोनों प्रकार की प्रत्येक श्रेणियों के लिए पृथक–पृथक प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि नियत समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त न होगी तो यह समझा जायेगा कि आपको किसी भी प्रविष्टि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नही है और विधि के अनुसार आदेश दे दिया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर से और मेरे कार्यकाल की मुहर से आज दिनांक .....20.....को दिया।

कार्यालय की मुहर

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–5ख (लगातार)

गाटा संख्या	चालू वार्षिक रजिस्टर की खाता–संख्या	वार्षिक रजिस्टर में अभिलिखित व्यक्ति का नाम, उसका पता और खाते का प्रकार	जिसके कब्जे में हो, उस कथित व्यक्ति का नाम, उसका पता और अंश, यदि वह अन्य के साथ संयुक्त रूप में भूमि पर कब्जे का दावा करता हो	क्षेत्रफल		
				कुल योग	चकबन्दी अयोग्य	चकबन्दी योग्य
1	2	3	4	5	6	7

स्तम्भ 7 में दिखाए गए चकबन्दी योग्य क्षेत्र का पैसे में (शब्दों में) विनिमय अनुपात	पैसे मूल्यांकन	समुन्नतियों का, यदि कोई हो, विवरण, जैसे गाटा में विद्यमान कुआँ, नलकूप आदि या पेड़, जो गाटे या सीमओं में स्थित बाग से भिन्न हों,				क्षेत्रफल की अशुद्धियों का विवरण, यदि कोई हो	विशेष विवरण
		वर्ग	पैमाईश और कितने–पुराने	अनुमानित मूल्य	स्वामी का नाम, उनका पता और सम्पत्ति में उसका अंश		
8	9	10	11	12	13	14	15

चकबन्दी लेखपाल

चकबन्दीकर्ता

सहायक चकबन्दी अधिकारी

क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–6

.....के सामने दायर किए गए वादों का मिसिलबन्द रजिस्टर

तहसील.....

जिला.....

वाद संख्या	ग्राम	पट्टी	परगना	पक्षों के नाम	वाद का विवरण (धारा)	वाद दायर करने का दिनांक	आदेश का दिनांक	आदेश का सारांश	अमलदरामद का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

चालान संख्या और दिनांक, जिसके द्वारा पत्रावली कलेक्टर के अभिलेखागार को भेजी गयी	यदि पत्रावली अभिलेखागार के किसी अधिकारी को स्वयं दी जाए, तो उसका हस्ताक्षर और दिनांक	विशेष विवरण
11	12	13

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–6क
नोटिस

(भूमि के सम्बन्ध में अधिकार और दायित्व, संयुक्त जोतों का विभाजर और गाटों, पेड़ों, कुओं तथा समुत्नतियों के मूल्य का अवधारण करने विषयक)

पुस्तक संख्या..... क्रम संख्या.....

वाद संख्या.....ग्राम.....पक्ष.....बनाम.....

श्री.....पिता का नाम.....निवास स्थान.....

को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेरे सामने भूमि के सम्बन्ध में अधिकार और दायित्व, संयुक्त जोतों का विभाजन और गाटों, पेडों, कुओं तथा समुन्नतियों के मूल्य का अवधारण करने के लिए एक वाद पंजीकृत किया गया है। आपकी एवद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आप.....को..... में 10 बजे पूर्वाह में स्वयं या यथावत् प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपस्थित हों। यदि आप उपस्थित न होगे तो विवाद आपकी अनुपस्थिति में निर्णीत कर दिया जाएगा।

मेंरेहस्ताक्षर और मेरे कार्यालय की मुहर से दिनांक .....20.....को दिया गया।

कार्यालय की मुहर

चकबन्दी अधिकारी/
क्षेत्र.....

सहायक चकबन्दी अधिकारी,
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–6ख

.....के सम्बन्ध में अशुद्धि–पत्र

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

कम–संख्या	अभिलेख की पृष्ठ–संख्या	अभिलेख का स्तम्भ	पंक्ति	अशुद्ध या संदिग्ध	शुद्ध	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

चकबन्दी लेखपाल　　चकबन्दीकर्ता　　सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–7

जोतो के भागों पर मालगुजारी का अभिभाजन तथा नयी जोतों पर उसका निर्धारण

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

क्रम संख्या	आधार वर्ष की खतौनी खाता संख्या..... फसली) भौमिक अधिकार	गाटा संख्याऐं	खाते सभी गाटो का कुल क्षेत्रफल	खाते की कुल मालगुजारी	जोत निकाले गये या चकबन्दी से अपवर्जित गाटें की संख्या	चकबन्दी से निकाले गये या अपवर्जित गाटों का अनुपातिक वार्षिक मालगुजारी		जोत के अवशिष्ट भाग पर देय वार्षिक मालगुजारी		प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के रूप में बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के हस्ताक्षर	पुनरीक्षित खतौनी (पर्वतीय जो०च०आ० पत्र–11) की खाता सं०	विशेष विवरण
						अपवर्जित गाटें का क्षेत्रफल	मालगुजारी= क्षेत्रफल ×कुल खाते की मालगुजारी/कुल खाते का क्षेत्रफल	मालगुजारी धनराशि (स्तम्भ 5–स्तम्भ 8)	फसली वर्ष जबसे स्तम्भ 9 में दिखायी गयी मालगुजारी देय है			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

चकबन्दी लेखपाल　　चकबन्दीकर्ता　　सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–7ख
मानक गाटों की सूची

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

गाटा–संख्या	पिछले बन्दोबस्त या पुनरीक्षण में दर्ज मिट्टी का वर्ग	विशेष विवरण
1	2	3

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–8
खातेदार पर लेख्यों के तामील करने का अभिलेख

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

तामील की क्रम संख्या	लेख्य का विवरण, जो तामील किया जाएगा	उस व्यक्ति का नाम, जिसे तामील किया जायेगा	तामील करने का दिनांक	स्वरूप तामील करने अथाव तामील करने के ढंग के प्रतीक स्वरूप हस्ताक्षर या निशानी अँगूठा	तामील करने वाले कर्मचारी का हस्ताक्षर और दिनांक	कार्यालय के अधिकारी का नाम और पद	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

चकबन्दी लेखपाल

चकबन्दीकर्ता

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–9
चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दीकर्ता, सहायक चकबन्दी अधिकारी की डायरी

क्षेत्र.....तहसील.....जिला.....

दिनांक	दिवस	किए गए कार्य का विवरण
1	2	3

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–10
खातेदारों का वर्ण क्रमानुसार सूची

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

क्रम संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान	खाता खतौनी की संख्या	भौमिक अधिकार का वर्ग	मालगुजारी	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

चकबन्दी लेखपाल

चकबन्दीकर्ता

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–11
पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

क्रम संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम और निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	जोत के प्रत्येक गाटे की संख्या	बीघा या एकड़ों या हेक्टर में प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	आधार वर्ष की खतौनी में खाता की क्रम संख्या	अंशो के विवरण के साथ यदि अंशों के आधार पर विभाजित हो, खातेदार का नाम	स्तम्भ 8 में दिखाए गए खातेदार द्वारा देय मालगुजारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि विभाजन गाटा के आधार पर किया हो, तो प्रत्येक खातेदार के लिए कुरों को विवरण			दिनांक और वाद संख्या, जिसके साथ आज्ञा देने वाले प्राधिकारी का पदनाम	ऐसी जोत के, यदि कोई हो, भाग का विवरण जो अविभाजित रहे			गाटे का विनीमय अनुपात	गाटे का मूल्यांकन	विशेष विवरण
खातेदार का अंश	खातेदार का हिस्से के अनुसार क्षेत्रफल	गाटों का मूल्यांकन (हिस्सानुसार)		गाटा संख्या	क्षेत्रफल	मालगुजारी			
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

चकबन्दीलेखपाल

चकबन्दीकर्ता

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–12
उन गाटों का विवरण, जिनको चकबन्दी कियाओं में सम्मिलित नहीं किया गया

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

कम–संख्या	गाटे की संख्या	क्षेत्रफल	खाता–खतौनी की संख्या	सम्मिलित न करने के कारण का विशेष विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6

चकबन्दी लेखपाल　　चकबन्दीकर्ता　　सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–13
सिद्धान्तों का विवरण

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

भाग–1
(अनुभाग जिसमें आंकडे तथा स्थानीय वृत्त के ब्यौरे दिए गए है)

1. कटक का कुल क्षेत्रफल बीघों/एकडों में/हेक्टयर में,——
2. कटक का कुल जोत बीघों/एकडों में/हेक्टयर में,——
3. चकबन्दी योजना में सम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्रफल——
4. कुल मूल्यांकन(पैसो में) ——
5. सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए पहले से ही प्रयोग में कुल क्षेत्रफल——
6. खातेदारों की कुल संख्या(जो जोत चकबन्दी आकार पत्र–10 में दिखाई गई है)——

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–13(लगातार)

7. विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट कुल क्षेत्रफल/मूल्यांकन पैसों में ——
   - क जोतो के क्षेत्रफल में सें,——
   - ख अन्य क्षेत्रफल में सें,——
   - ग जोत क्षेत्रफल से कटौतियों का प्रतिशत——

8. प्राप्य सिंचाई की सुविधायें–
   - क सरकारी नलकूपों की संख्या.....सिंचित क्षेत्रफल.....
   - ख निजी नलकूपों की संख्या.....सिंचित क्षेत्रफल.....
   - ग पक्के और टिकाऊ कच्चे कुओं की संख्या.....सिंचित क्षेत्रफल.....
   - घ नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रफल——
   - ड अन्य स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल——

9 क ग्राम की कुल जनसंख्या.....
   - ख मजरे का नाम.....हरिजनों तथा भूमिहीन मजदूरों की जनसंख्या.....अन्य व्यक्तियों की जनसंख्या.....
   - ग पाही काश्त के खातेदारों की जनसंख्या.....

10. कटक के स्थानीय वृत्त का विवरण

भाग–2
(अनुभाग जिसमें सिद्धान्त दिए गए है)

- क कटक नियोजन अनुभाग
- ख कटक चकबन्दी अनुभाग

भाग–3
(गाटे की संख्याओं के ब्यौरे तथा भाग–2 में दिए हुए सिद्धान्त के आधार पर विविध सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट प्रस्तावित क्षेत्रफल)

क्रम संख्या	आयोजन, जिसके लिए निर्दिष्ट किया गया हो	गाटे की संख्या	सुरक्षित क्षेत्रफल		स्तम्भ 4 में अंकित क्षेत्रफल का (पैसों) में मूल्यांकन	विशेष विवरण
			जोत क्षेत्रफल से	गैर जोत क्षेत्रफल से		
1	2	3	4	5	6	7

चकबन्दी लेखपाल

चकबन्दीकर्ता

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–14 (भाग–1)
प्रारम्भिक चकबन्दी योजना (खतौनी चकबन्दी)

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

कम सं0	खातेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास–स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ग	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–11 की खाता–संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल		
						कुल योग	क्षेत्रफल चकबन्दी में असम्मिलित	चकबन्दी में सम्मिलित
1	2	3	4	5	6	7	8	9

मूल जोत			सिद्धान्तो के विवरण में दिखाई दर के आधार पर परिगणित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए पैसों मूल्यांकन में अंशदान का योग× अंशदान का प्रतिशत/100	क्षेत्रफल में सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अंशदान (स्तम्भ 13× 9/ स्तम्भ 11) (जोत के योग पर)
चकबन्दी में सम्मिलित गाटों अथवा उनके भागों का विनिमय अनुपात	चकबन्दी में सम्मिलित गाटे अथवा उसके भाग का पैसों में मूल्यांकन	जोत की मालगुजारी		
10	11	12	13	14

सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए दी गई भूमि के कारण कम की जाने वाली मालगुजारी (स्तम्भ 14× स्तम्भ 12/स्तम्भ 7) (जोत के योग पर)	सार्वजनिक प्रयोजनों के निमित दी गई भूमि के लिए देय प्रतिकर की धनराशि	प्रदिष्ट किया जाने वाला शुद्ध मूल्यांकन (स्तम्भ 11× स्तम्भ 13) (जोत के योग पर)
15	16	17

प्रस्तावित जोत						विशेष विवरण
भौमिक अधिकार का वर्ग	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विनिमय अनुपात	पैसा मूल्यांकन	सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि देने के कारण कटौती के पश्चात् यदि कोई हो, खातेदार द्वारा देय मालगुजारी (स्तम्भ 12× स्तम्भ 15	
18	19	20	21	22	23	24

चकबन्दी लेखपाल चकबन्दीकर्ता सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–14(भाग–2)
प्रारम्भिक चकबन्दी योजना
(खतौनी चकबन्दी–सर्वजनिक प्रयोजन/ग्राम समाज हेतु)

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

क्रम संख्या	सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र						ग्राम सभा की अन्य भूमि के ब्यौरे			विशेष विवरण
	ऐसे क्षेत्र में से, जो जोत में हों			ऐसे क्षेत्र में से, जो जोत में न हों			गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण	
	प्रयोजन	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	प्रयोजन	गाटा संख्या	क्षेत्रफल				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

चकबन्दी लेखपाल　　चकबन्दीकर्ता　　सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–15 (भाग–1)
समस्त खातेदारों द्वारा तैयार की गई प्रारम्भिक चकबन्दी योजना मूल जोत

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

कम–संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम और निवास स्थान	भौमिक अधिकार का वर्ग	खाता–खतौनी संख्या	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	मालगुजारी
1	2	3	4	5	6	7

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–15 (भाग–1) (लगातार)

जोत या उसके किसी भाग पर सुखाधिकारों से भिन्न अन्य भार		प्रस्तावित जोत				प्रस्तावित जोतों से सम्बद्ध भार	
भार के प्रकार सहित भारतकर्ता का नाम	धनराशि	भौमिक अधिकार का वर्ग	गाटा संख्या	प्रविष्ट क्षेत्रफल	मालगुजारी	भारकर्ता का नाम तथा भार का प्रकार	धनराशि
8	9	10	11	12	13	14	15

खातेदार के प्रदिष्ट पेड़, कुएं, भवन या अन्य समुन्नतियॉं				
पेड़ों, कुओंया अन्य समुन्नतियों की संख्या और प्रकार	गाटा संख्या, जिन पर पेड़ आदि स्थित है	प्रतिकर	किसको देय होगा	विशेष विवरण
16	17	18	19	20

चकबन्दी लेखपाल

चकबन्दीकर्ता

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–15 (भाग–2)
समस्त खातेदारों द्वारा स्वेच्छापूर्वक तैयार की गयी प्रस्तावित चकबन्दी योजना सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सुरक्षित भूमि

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

क्रम संख्या	सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट क्षेत्रफल						ग्राम सभा की अन्य भूमि का ब्यौरा			विशेष विवरण
	जोत के क्षेत्रफल में से		क्षेत्रफल में से, जो जोत में न हों							
	प्रयोजन	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	प्रयोजन	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विवरण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

चकबन्दी लेखपाल

चकबन्दीकर्ता

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–15क
चक–मार्गो और चक–गूलों की व्यवस्था करने के लिए योजना का प्रारूप

चक–मार्गो और एक–गूलों के लिए प्रथम रक्षित क्षेत्र				गैर जोत क्षेत्रफल से			
चक–मार्गो और चक–गूलों की कम–संख्या	जोत क्षेत्रफल से		विनिमय अनुपात	पैसों मूल्यांकन	गाटे की संख्या	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
	गाटे की संख्या	क्षेत्रफल					
1	2	3	4	5	6	7	8

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–15 ख
पार्श्व समायोजित जोतों वाले खातेदारों के लिए

क्रम–संख्या	खातेदार का नाम पिता का नाम और निवास स्थान	चालू खतौनी की खाता संख्या	भौमिक अधिकार	पुनर्व्यवस्थापन के कारण जोत में किया गया समायोजन लिया गया			
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विनिमय अनुपात	पैसा मूल्यांकन
1	2	3	4	5	6	7	8

प्रदिष्ट					विशेष विवरण
भौमिक अधिकार	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	विनिमय अनुपात	पैसा मूल्यांकन	
9	10	11	12	13	14

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–16
प्रारम्भिक चकबन्दी योजना (खतौनी चकबन्दी) के प्रकाशन की सूचना

उत्तराखण्ड जोत चकबन्दी अधिनिमय, के अधीन तैयार किए गए जोत चकबन्दी आकार पत्र 14 भाग–1 व 2 में ग्राम.....पट्टी.....तहसील.....जिला.....सम्बन्धी प्रारम्भिक चकबन्दी योजना (खतौनी चकबन्दी) एतद्द्वारा.....को प्रकाशित किया जाता है।

जो व्यक्ति कोई आपत्ति करना चाहता हो, वह विवरण के प्रकाशन के 45 दिन के भीतर मेरें.....स्थित कार्यालय में आपत्ति प्रस्तुत करेगा।

मेरे हस्ताक्षर और मेरे कार्यालय की मुहर से ..... वे दिनांक ..... को जारी किया गया।

कार्यालय की मुहर

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

जोत चकबन्दी आकार पत्र–17

पुस्तक संख्या.....

क्रम संख्या.....

आभ्यन्तरिक पत्रक

पेड कुओं अथवा अन्य समुन्नतियों के संक्रमण करने के फलस्वरूप प्रतिकर

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

प्रमाणित करता हूँ कि श्री.....आत्मज.....निवास स्थान.....चकगृहीता संख्या.....चकबन्दी कार्यवाही के समय प्रदान किए गए निम्नलिखित पेडों, कुओं और अन्य समुन्नतियों के निमित श्री .....आत्मज.....निवास स्थान.....से प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं।

गाटा संख्या, जिस पर पेड आदि स्थित है	पेडों, कुओं अथवा अन्य समुन्नतियों की संख्या और प्रकार	देय प्रतिकर की धनराशि
1	2	3

कार्यालय की मुहर

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

बाह्य–पत्रक

पेड कुओं अथवा अन्य समुन्नतियों के संक्रमण करने के फलस्वरूप प्रतिकर

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

प्रमाणित करता हूँ कि श्री.....आत्मज.....निवास स्थान.....चकगृहीता संख्या.....चकबन्दी कार्यवाही के समय प्रदान किए गए निम्नलिखित पेडों, कुओं और अन्य समुन्नतियों के निमित श्री .....आत्मज.....निवास स्थान.....से प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं।

जोत चकबन्दी आकार पत्र–17 (लगातार)

गाटा संख्या, जिस पर पेड आदि स्थित है	पेडों, कुओं अथवा अन्य समुन्नतियों की संख्या और प्रकार	देय प्रतिकर की धनराशि
1	2	3

कार्यालय की मुहर

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

प्रतिलिपि श्री.....आत्मज.....निवास स्थान.....चकगृहीता संख्या.....को सूचनार्थ भेजी जाती है। यदि विनिमय अथव कब्जा देने के दिनांक से 9 महने के भीतर प्रतिकर की धनराशि का भुगतान नही किया जाता है, तो वह तहसीलदार के द्वारा मालगुजारी की बकाया के रूप में बसूल की जाएगी।
निनिमय या कब्जा देने के दिनांक से 3 महीने समाप्त हो जाने के बाद अवशेष देय धनराशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज लिया जाएगा।

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–17क
खातेदारों की सूची, जिन्हें सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि के अंशदान के निमित प्रतिकर देय होगा

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

क्रम संख्या	जोत चकबन्दी आकार पत्र 15 प्रविष्टि की क्रम संख्या	खातेदार का नाम (शब्द, खातेदार, के अन्तर्गत, असामी भी है)	प्रतिकर की धनराशि	चकबन्दी के व्यय में समायोजित धनराशि	नकदी में देय धनराशि	भुगतान का दिनांक	भुगतान की गई धनराशि	पाने वाले के हस्ताक्षर	सहायक चकबन्दी अधिकारी के हस्ताक्षर जिसने उक्त धनराशि का भुगतान किया	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

चकबन्दी लेखपाल

चकबन्दीकर्ता

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–18
चकबन्दी कियाओं के व्यय की मॉग तथा वसूली की जमाबन्दी

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

जोत चकबन्दी आकार पत्र–14 में जोत की कम संख्या (चक सं0)	खातेदारों का नाम, पिता कानाम और निवास स्थान	जोत चकबन्दी आकार पत्र–14 में दिखाई गई जोत का क्षेत्रफल	प्रयोज्य चकबन्दी के व्यय की दर	चकबन्दी व्यय की कुल मांग (स्तम्भ 3 × स्तम्भ 4)
1	2	3	4	5

पहली किस्त

सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अंशदान भूमि के निमित खातेदार को देय प्रतिकर की धनराशि (जोत चकबन्दी आकार पत्र–14का स्तम्भ 16	स्तम्भ 6 में दिखाए गए प्रतिकर की धनराशि समायोजित करने के पश्चात् चकबन्दी के व्यय की शुद्ध धनराशि (स्तम्भ 5–स्तम्भ 6)	किस्त की धनराशि	वसूल की गयी धनराशि	चालान संख्या सहित खजाने में जमा करने का दिनांक	नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर	शेष
6	7	8	9	10	11	12

दूसरी किस्त

किस्त की धनराशि	स्तम्भ 12 में दिखायी गयी पहली किस्त बकाया के, यदि कोई हो, सहित वसूल की जाने वाली कुल धनराशि (स्तम्भ 12–स्तम्भ 13)	वसूल की गयी धनराशि	चालान संख्या सहित खजाने में जमा करने का दिनांक	नायब तहसीलदार के हस्ताक्षर	विशेष विवरण
13	14	15	16	17	18

चकबन्दी लेखपाल

चकबन्दीकर्ता

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–19
प्रतिकर के प्रदान का विवरण पत्र

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

मूल खाता, यदि उसकी फसल के पालने–पोसने का अधिकार स्तम्भ 2 में अभिलिखित व्यक्ति के लिए सुरक्षित रखा गया है, किन्तु जो अन्य व्यक्तियों के लिए नियत किया गया है

कम संख्या	खातेदार का नाम तथा पिता का नाम	गाटा संख्या	सम्बद्ध फसल का नाम और उसका क्षेत्रफल	अन्तिम लागू मौरूसी दर	फसल वाले क्षेत्र का लगानी मूल्य	प्रतिकर का निश्चित गुणंक	जब स्तम्भ 2 में अभिलिखित खातेदार अन्य व्यक्तियों को प्रतिकर दें	
							गाटे के प्रतिकर की धनराशि	खातेदार का नाम जिसके लिए गाटा नियत किया गया है
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्तम्भ 2 में अभिलिखित व्यक्ति का (प्रदिष्ट खाता, यदि उसकी फसल के पालने–पोसने का अधिकार अन्य व्यक्तियों के लिए सुरक्षित रखा गया है)

गाटा संख्या	सम्बद्ध फसल का नाम और उसका क्षेत्रफल	अन्तिम लागू मौरूसी दर	फसल वाले क्षेत्र का लगानी मूल्य	जब स्तम्भ 2 में अभिलिखित खातेदार अन्य व्यक्तियों को प्रतिकर प्राप्त करें			विशेष विवरण
				प्रतिकर का निश्चित गुणंक	गाटे के प्रतिकर की धनराशि	खातेदार का नाम जिसका गाटे की फसल के पालने–पोसने का अधिकार सुरक्षित है	
10	11	12	13	14	15	16	17

चकबन्दी लेखपाल

चकबन्दीकर्ता

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–20
प्रतिकर के निमित फसल के मूल्यांकन का खसरा

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

गाटा संख्या	सम्बद्ध फसल का नाम	क्षेत्र जिनमें फसल लगी हो	प्रति हेक्टयर अनुमानित उपज (कुन्तल में)	गाटे की कुल उपज (कुन्तल में)	उपज का प्रति कुन्तल बाजार भाव	गाटों की फसल का अनुमानित मूल्य	फसल को काटने और बटोरने के पूर्व तक खेती करने की प्रति हेक्टयर लागत	गाटों में खेती करने की कुल लागत	गाटों की उपज का वर्तमान मूल्य	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

चकबन्दी लेखपाल　　चकबन्दीकर्ता　　सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–21
फसल सम्बन्धी प्रतिकर के प्रदान का विवरण–पत्र

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

क्रम संख्या	खातेदार का नाम तथा पिता का नाम	गाटा संख्या	स्तम्भ 2 में अभिलिखित व्यक्ति का मूल खाता जो खडी फसल के सहित दूसरे को दिया गया जब स्तम्भ 2 में अभिलिखित व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से प्रतिकर प्राप्त करें			गाटा संख्या	स्तम्भ 2 में अभिलिखित व्यक्ति को प्रस्ताविक खाता, जिसकी फसल भी दूसरे से ली गई हो जब स्तम्भ 2 में अभिलिखित व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से प्रतिकर दें			विशेष विवरण
			गाटा की फसल का मूल्य	गाटे के प्रतिकर की धनराशि	खातेदार का नाम, जिसको फसल सहित गाटा दिया गया		गाटे की फसल का मूल्य	गाटे की प्रतिकर की धनराशि	खातेदार का नाम, जो फसल का पहले पालन–पोषण करता था	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

चकबन्दी लेखपाल　　चकबन्दीकर्ता　　सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–22
प्रतिकर के प्रदान का प्रमाण पत्र

आभ्यन्तरिक पत्रक

बही–संख्या.....क्रम–संख्या.....
ग्राम का नाम.....पटटी.....
तहसील.....जिला.....
(अभिदेश जोत चकबन्दी आकार पत्र 19–21 की क्रम संख्या)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....
को निम्नलिखित खातेदार से जिसने.....
उसके चक के गाटों में खडी फसलों को पालने–पोसने और बटोरने के अधिकार को सुरक्षित रखा है

उसकी खडी फसलों पर कब्जा कर लिया है
प्रतिकर प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है

यदि उक्त प्रतिकर ग्राम में कब्जा देने के दिनांक अर्थात्.....से 9 मास की समाप्ति पर देने से रह जाए, तो वह तहसीलदार को, जिसका अधिकार हो, इस प्रकार वसूल हो जाने के दो वर्ष के भीतर निवेदन पत्र देने पर मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

क्रम संख्या	प्रतिकर देने वाले खातेदार का नाम (जोत चकबन्दी आकार पत्र–19 का स्तम्भ 16)	गाटा संख्या	देय प्रतिकर की धनराशि

सहायक चकबन्दी अधिकारी की मुहर	सहायक चकबन्दी अधिकारी

बाह्य पत्रक

बही–संख्या.....क्रम–संख्या.....
ग्राम का नाम.....पटटी.....
तहसील.....जिला.....
(अभिदेश जोत चकबन्दी आकार पत्र 19–21 की क्रम संख्या)प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....
को निम्नलिखित खातेदार से जिसने.....
उसके चक के गाटों में खडी फसलों को पालने–पोसने और बटोरने के अधिकार को सुरक्षित रखा है

उसकी खडी फसलों पर कब्जा कर लिया है
प्रतिकर प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है

यदि उक्त प्रतिकर ग्राम में कब्जा देने के दिनांक अर्थात्.....से 9 मास की समाप्ति पर देने से रह जाए, तो वह तहसीलदार को, जिसका अधिकार हो, इस प्रकार वसूल हो जाने के दो वर्ष के भीतर निवेदन पत्र देने पर मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

क्रम संख्या	प्रतिकर देने वाले खातेदार का नाम (जोत चकबन्दी आकार पत्र–19 का स्तम्भ 16)	गाटा संख्या	देय प्रतिकर की धनराशि

सहायक चकबन्दी अधिकारी की मुहर	सहायक चकबन्दी अधिकारी

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–23
प्रतिकर के भुगतान की सूचना (नोटिस)

आभ्यन्तरिक पत्रक

बही–संख्या.....क्रम–संख्या.....
(अभिदेश जोत चकबन्दी आकार पत्र 19/21 की क्रम संख्या)
ग्राम का नाम.....पटटी.....
तहसील.....जिला.....
श्री.....

..कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि निम्नलिखित खातेदारों के लिए नियत किए गए/द्वारा पहले से पाली गाटों पर खडी फसलों को पालने–पोसने और बटोरने के अधिकार को पौसी जाने वाली खडी फसलों पर कब्जा सुरक्षित रखने/कर लेने के कारण आपको प्रत्येक खातेदार के नाम के सामने उल्लिखित प्रतिकर की धनराशि का भुगतान करना है। यदि उक्त धनराशि ग्राम में कब्जा देने के दिनांक अर्थात्.....
.....से 9 मास की समाप्ति पर देने से रह जाए, तो वह मालगुजारी बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी और आपको.....से भुगतान की जाने वाली धनराशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा।

क्रम संख्या	खातेदार का नाम (जोत चकबन्दी आकार पत्र 19 का स्तम्भ 9) (जोत चकबन्दी आकार पत्र 21 का स्तम्भ 10)	गाटा संख्या	खडी फसल का नाम	देय प्रतिकर की धनराशि	पाने वाले को दिये गये प्रमाण–पत्र की क्रम संख्या

जारी करने का दिनांक.....

सहायक चकबन्दी अधिकारी की मुहर	सहायक चकबन्दी अधिकारी

बाह्य पत्रक

बही–संख्या.....क्रम–संख्या.....
(अभिदेश जोत चकबन्दी आकार पत्र 19/21 की क्रम संख्या)
ग्राम का नाम.....पटटी.....
तहसील.....जिला.....
श्री.....

कृपया इस बात का ध्यान रखिए कि निम्नलिखित खातेदारों के लिए नियत किए गए/द्वारा पहले से पाली गाटों पर खडी फसलों को पालने–पोसने और बटोरने के अधिकार को पौसी जाने वाली खडी फसलों पर कब्जा सुरक्षित रखने/कर लेने के कारण आपको प्रत्येक खातेदार के नाम के सामने उल्लिखित प्रतिकर की धनराशि का भुगतान करना है। यदि उक्त धनराशि ग्राम में कब्जा देने के दिनांक अर्थात.....
....से 9 मास की समाप्ति पर देने से रह जाए, तो वह मालगुजारी बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी और आपको.....से भुगतान की जाने वाली धनराशि पर 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा।

क्रम संख्या	खातेदार का नाम (जोत चकबन्दी आकार पत्र 19 का स्तम्भ 9) (जोत चकबन्दी आकार पत्र 21 का स्तम्भ 10)	गाटा संख्या	खडी फसल का नाम	देय प्रतिकर की धनराशि	पाने वाले को दिये गये प्रमाण–पत्र की क्रम संख्या

जारी करने का दिनांक.....

सहायक चकबन्दी अधिकारी की मुहर	सहायक चकबन्दी अधिकारी

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–24
चकबन्दी का अन्तिम तुलनात्मक खसरा

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

नई संख्या	क्षेत्रफल	पुरानी संख्या	क्षेत्रफल	नई खाता खतौनी संख्या	पिछले बन्दोबस्त की भूमि श्रेणी	सिंचाई का साधन	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8

चकबन्दी लेखपाल

चकबन्दीकर्ता

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

पर्वतीय जोत चकबन्दी आकार पत्र–25
चकबन्दी की अन्तिम खतौनी

ग्राम.....पट्टी.....परगना.....तहसील.....जिला.....

खतौनी खाता की क्रम संख्या	खातेदार का नाम, पिता का नाम तथा निवास स्थान	जोत प्रारम्भ होने का वर्ष	नयी गाटा संख्या	क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7

चकबन्दी लेखपाल

चकबन्दीकर्ता

सहायक चकबन्दी अधिकारी
क्षेत्र.....

चिन्हों की सूची

क0सं0	चिन्ह का नाम	चिन्ह	क0सं0	चिन्ह का नाम	चिन्ह
1	खेल का मैदान	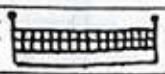	23	दरख्त खजूर व ताड़	
2	पंचायत घर	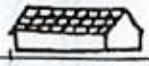	24	देव स्थान	
3	पेड़ लगाने की भूमि	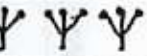	25	दोहडा	
4	खाद के गड्ढे		26	ईसाइयों का कब्रिस्तान	
5	चारागाह		27	घाटा मय नदी	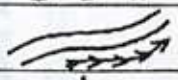
6	खाल निकालने की जगह		28	गिरजाघर	
7	खलिहान		29	बिजली के खम्भे	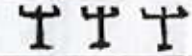
8	हरिजन आबादी	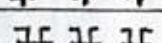	30	जंगल ढाक	
9	समकोणीय खम्भा	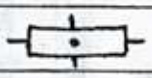	31	जंगल झाड़ी, बबूल व छोटे पेड़	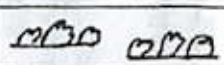
10	आबादी	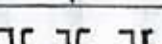	32	जंगल झाऊ व घास कला	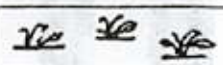
11	हवाई अड्डा		33	जंगल साखू, साल, शीशम आदि बड़े पेड़	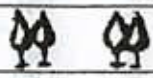
12	बाग		34	झील	
13	बन्धा		35	कब्रिस्तान	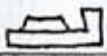
14	बांध		36	करबला	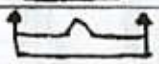
15	बंजर	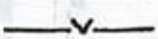	37	मंदिर	
16	बांसवाड़ी		38	मरघट	
17	भट्ठा	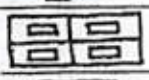	39	मजिस्द	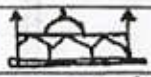
18	डाक बंगला, प्रथम श्रेणी	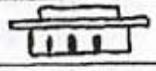	40	सरहद नदी	
19	डाक बंगला, द्वितीय श्रेणी	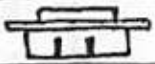	41	नहर या कैनाल (मुख्य)	
20	डाक बंगला, तृतीय श्रेणी	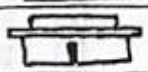	42	नाला	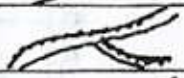
21	नहर वितरिका लघु या गुल		43	पगडण्डी	
22	नहर मय सड़क		44	पहाड़ी	

क0सं0	चिन्ह का नाम	चिन्ह	क0सं0	चिन्ह का नाम	चिन्ह
45	पड़ाव	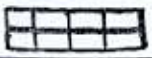	59	स्कूल	
46	परती जदीद	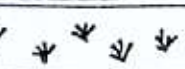	60	चीनी मील	
47	परती कदीम		61	सरहद मय सिहद्दा	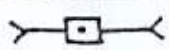
48	पथरीली जमीन (पत्थर)	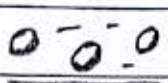	62	सराय व धर्मशाला	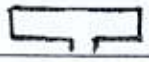
49	फुलवारी व बाग कलमी	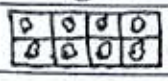	63	पुख्ता सड़क में मिल	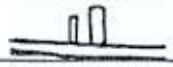
50	पोखर व गड्ढा		64	सड़क खाम	
51	कांजी हाउस		65	थ्योडोलाईट निशान	
52	पुल गैर मुस्तकिल		66	तालाब खाम	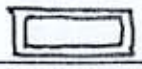
53	पुल मुस्तकिल	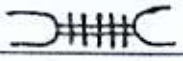	67	तालाब पुख्ता	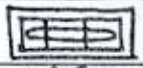
54	किला खाम		68	टीला	
55	किला पुख्ता		69	नलकूप	
56	पटरी रेल व स्टेशन	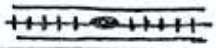	70	तहसील	
57	रास्ता गैरमुस्तकिल	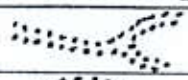	71	थाना	
58	रेत		72	ऊसर	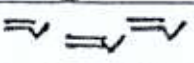

आज्ञा से,

सुशील कुमार,
सचिव (प्रभारी)।